कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

गत 2 सितम्बर को भाजपा के एक शिष्टमण्डल ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें गुजरात के राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की असंवैधानिक नियुक्ति पर एक ज्ञापन सौंपा।

फिर दहली मुंबई
एक रिपोर्ट........ 7
संसद में बहस
श्रीमती सुषमा स्वराज........ 10
डॉ. मुरली मनोहर जोशी........ 12
श्री अरुण जेटली........ 14
लेख
बेलगाम होते आतंकी हमले
&cyohj iqat........ 18
सूत्रधारों पर मेहरबानी
&ân;ukjk;.k nhf{kr........ 19
मोर्चा/प्रकोष्ठ
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा........ 21
राष्ट्रीय गोवंश विकास प्रकोष्ठ........ 23
प्रदेशों से
मध्य प्रदेश........ 24
दिल्ली........ 26
छत्तीसगढ़........ 27
राजस्थान........ 28
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार........ 29
झारखंड........ 30

वैचारिकी

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। हमारी राष्ट्रीयता का आधार राजनैतिक नहीं, सांस्कृतिक है। भारत की संस्कृति ही इसकी राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता तथा संस्कृति एक दूसरे पर आधारित हैं, जिनमें समान मातृभूमि, समान पूर्वज और समान संस्कृति का भाव निहित है। राष्ट्र की अस्मिता का ज्ञान बिना संस्कृति की पहचान के संभव नहीं। पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित एक वर्ग ऐसा है, जो भारत को राष्ट्र नहीं मानता तथा अपने को प्रगतिशील कहकर सबों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करता है। राष्ट्र, राज्य एवं देश को एक ही मानने या इससे अंतर को नहीं समझने के कारण ये तथाकथित प्रगतिशील भ्रमजाल फैलाते रहते है।

प्रादेशिक राष्ट्रवाद की संकल्पना यूरोप में राज्यों के अभ्युदय के साथ प्रमुखता से उभरी। एक निश्चित भूखण्ड, उसमें रहने वाला जन, एक शासन एवं उसकी संप्रभुता को राष्ट्र कहा गया। कालांतर में राजनीतिक स्वरूप के कारण राष्ट्र एवं राज्य को समान अर्थों में प्रयोग में लाया जाने लगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक राष्ट्रों को षड्यंत्रपूर्वक तोड़ा गया। जर्मनी–पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी, वियतनाम उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, कोरिया– उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, लेबनान– उत्तरी एवं दक्षिणी लेबनान आदि। जर्मनी, वियतनाम, कोरिया, लेबनान आदि टूटे अवश्य पर उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता को नहीं छोड़ा।

पर दुर्भाग्यवश भारत का जो विभाजन हुआ वह एक अलग स्वरूप में हुआ। पूर्वी हिन्दुस्तान, पश्चिमी हिन्दुस्तान एवं मध्य हिन्दुस्तान–अगर इस रूप में रहता तो हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता जिंदा रहती। पंथ को राष्ट्रीयता मानने के कारण ही नगालैण्ड एवं मिजोरम में अलगाववाद ने हिंसक रूप धारण किया। इसी धारणा के कारण पंजाब में भी अलगाववद उभारने का असफल प्रयास हुआ।

पाकिस्तानी भाषा (बंगला–उर्दू) को राष्ट्रीयता मानकर दो भागों में टूट गया। अगर भाषा राष्ट्रीयता है तो फिर सभी अंग्रेजी बोलने वालों का एक राष्ट्र क्यों नहीं ? इंग्लैण्ड एवं आयरलैण्ड आपस में क्यों लड़ते है ? भारत में भी एक ऐसा वर्ग है जो भाषा को राष्ट्रीयता मानकर इस देश को बहुराष्ट्रीयता (Multi nationality, Mix Culture) बहु–सांस्कृतिक राज्य कहता है। गुजराती संस्कृति, मराठी संस्कृति, उड़िया संस्कृति, तेलगु संस्कृति, कन्नड़ संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, तमिल संस्कृति आदि शब्दों का प्रयोग करता है और लोग भी अपनी 'संस्कृति की पहचान' के नाम पर अलगाववाद के नारे लगाने लगते हैं, यह संस्कृति नहीं बोली (भाषा) है।

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

दमन से लोकतंत्र दबता नहीं बल्कि और निखरता है

सम्पादकीय

सन् 1975 की 25 जून को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दमनचक्र चलाने के लिए देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने भी सोचा था कि शायद लोकतंत्र का जब गला दबेगा तो वह मरने से डर जाएगा। पर वह भूल गई थी कि भारत की प्रकृति में लोकतंत्र है। भारत की आत्मा और उसके रोम–रोम में लोकतंत्र है। यहां के प्रत्येक नागरिक की प्रकृति में लोकतंत्र रचा–बसा है। इंदिराजी ने भारत की प्रकृति को छेड़ा था तो जनता ने उनकी प्रकृति को और उनकी मंशा का करारा जवाब मौन रहकर दिया था। ठीक उन्नीस महीनों की अंग्रेज़ियत प्रताड़ना का जवाब भारत के नागरिकों ने अहिंसक होकर दिया था। इंदिराजी और कांग्रेस पूरी तरह धराशायी हो चुकी थी। लोकतंत्र लहलहाया था। लोकतंत्र मुस्कुराया था। लोकतंत्र अपने प्रहरियों पर गर्व महसूस कर रहा था। लोकतंत्र लोकशाही का प्रतीक बनकर उभरा था। सारे विपक्षी दल एक हो गए थे। लोकतंत्र के बिना हम अधूरे हैं। यह बात श्रीमती सोनिया गांधी को भी मालूम है और डॉ. मनमोहन सिंह को भी। बावजूद इसके दो वर्षों से, खासकर गत एक वर्ष से, जो कुछ देश में हो रहा है, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि लोकतंत्र का जनाजा निकालने जैसा है। ताजा उदाहरण है गुजरात में बिना मुख्यमंत्री की जानकारी और उनके मंत्रिमंडल की सहमति के गुजरात लोकायुक्त की नियुक्ति। आखिर यह क्या तमाशा है? क्या देश में जो अब तक नहीं हुआ, वह अब होगा? सीवीसी की नियुक्ति में क्या हुआ था? क्या नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? राज्यपालों की भूमिका क्या कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की तरह होगी? आखिर कलमाडी क्या आजादी की लड़ाई के कारण जेल में है? क्या 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों ने अपने मन से करोड़ों का घोटाला कर लिया?

आदर्श घोटाला क्या कांग्रेस के कदाचारों की पोल नहीं खोलता है? क्या भ्रष्टाचार के प्रतीक बनकर श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह नहीं उभरे? क्या देश अजीबोगरीब दौर से नहीं गुजर रहा? स्थिति यह है कि किसी की सुनना नहीं। जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। सत्ता का मद सिर चढ़कर बोल रहा है। 'युवराज' और 'महाराज' की चाटुकारिता संस्कृति से जुड़ी कांग्रेस एक परिवार की बैसाखियों पर आकर टिक गई है। कांग्रेस को भले ही नहीं आए पर देश को कांग्रेस पर निश्चित ही शर्म आ रही है।

बदले की आग को लेकर चल रही कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने में जुटी है। समाजसेवी ''अन्ना हजारे'' को बदनाम करने, फिर बाबा रामदेव को, फिर इनके समर्थकों को, और अब भाजपा की राज्य सरकारों को पूरी तरह कुचलने का कुचक्र चलाना कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस भूल कर रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस बिना रीढ़ की हड्डी के स्वयं है और वह अन्य दलों और देश के विपक्षी दलों के नेताओं की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार कर रही है। शायद श्रीमती सोनिया गांधी भूल चुकी हैं कि 19 महीने की आपातकाल की फौलादी ताले को तोड़ने में देश पीछे नहीं रहा तो अब वह क्या करेंगी? भारत का लोकतंत्र परिपक्व है। वह

अनेक झंझावातों से सदैव बाहर निकला है और निखरा भी है।

आज महती आवश्यकता है एक सामूहिक संघर्ष की। सामूहिक संघर्ष के लिए हमें अपने–अपने दलीय स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। 'अंग्रेजों' से संघर्ष करने वाली कांग्रेस स्वयं मृत्युशैय्या पर है, पर कुछ चंद स्वार्थी लोग उसे भविष्य का सपना संजोने के लिए आंतक, दमन और कुचक्र का सहारा लेने की सलाह देकर गर्त में डूबी कांग्रेस को समुद्र में डूबोना चाहते हैं। लोकतंत्र तो आगाह कर सकता है। हम वही कर रहे हैं।

कांग्रेस वह भूल न करें जो सन् 1975 में इंदिराजी ने की थी। जब देश ने इंदिराजी को करारा जवाब दिया था तो श्रीमती सोनिया गांधी और उनका 'अमूल बेबी' कहां ठहरता है? ■

अन्ना जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार हो : नितिन गडकरी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा श्री अन्ना हजारे के 12 दिवसीय अनशन की समाप्ति पर 28 अगस्त को नागपुर से जारी प्रेस विज्ञप्ति

मुझे खुशी है कि श्री अन्ना हजारे ने आज प्रातः काल अपना 12 दिवसीय अनशन समाप्त कर दिया। ईश्वर की कृपा से अन्ना जी का जीवन बच गया। हम उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं ताकि उनका भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार हो सके। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस धर्मयुद्ध में लगे हुए हैं। मैं अपनी ओर से तथा भाजपा की तरफ से अन्ना जी का उनके भ्रष्टाचार के प्रति अभियान में सफल होने पर हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। मैं अन्ना जी की विजय में देशवासियों के साथ उनके हर्ष में शामिल हूं। यह लोकतंत्र की विजय है।

भ्रष्टाचार का दानव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह फिर से अपना काला चेहरा उठा सकता है। हमें इसे अपनी व्यवस्था से जड़ से मिटा देना होगा। भ्रष्टाचार के प्रति हमारा अभियान लक्ष्य तक पहुंचने तक जारी रहेगा।

मैं अन्ना जी को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा समाज की कायापलट के मामले में उनके निःस्वार्थ प्रयासों के पीछे सदैव खड़ी रहेगी। हम आपके साथ हैं और तब तक निरंतर आपके साथ बने रहेंगे जब तक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है।

हमारा अपसे वादा है कि भाजपा सदैव आपके साथ खड़ी होने को तैयार है और भविष्य में आवश्यकता हुई तो हम आपके नेतृत्व में भारत में भ्रष्टाचार मुक्त वास्तविक लोकतंत्रिक व्यवस्था के लिए आपके सपने को साकार करने में साथ रहेंगे।

अन्ना जी, निश्चित विश्वास रखिए कि हम आपको संसद के अंदर और बाहर कभी अपमानित नहीं होने देंगे। न ही हम सरकार को कभी आगे आपके साथ विश्वासघात करने देंगे।

अन्ना जी, हमारा सलाम! ■

लेख आमंत्रण

'कमल संदेश' में प्रकाशनार्थ पं. दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कृतित्व पर ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी लेख आमंत्रित किए जाते हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं हमारे प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अपना सम्पूर्ण जीवन मां भारती के गौरव और महिमा को बढ़ाने में लगा दिया। हमारा उनके सहयोगियों, सहकर्मियों, शोधकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों से अनुरोध है कि वे 'कमल संदेश' में अपने लेख भेजकर उनकी 'विचार यात्रा' के प्रकाशन में अपना सहयोग दें।

iHkkr >k] lkln
lEiknd

फिर दहली दिल्ली

13 की मौत, 100 से अधिक घायल

&dey lans'k C;wjks

dk ग्रेसनीत यूपीए शासन में आतंकवादी बेखौफ है। आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की नीति लचर है। भाजपानीत एनडीए ने आतंकवाद को खत्म करने को लेकर आतंकवादरोधी कानून 'पोटा' बनाया था लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस ने उसे समाप्त कर दिया। तबसे आतंकवादियों का हौसले बढ़े हुए हैं और आतंकी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। गत 7 सितंबर 2011 को आतंकवादियों ने दिल्ली को एक बार फिर दहलाने की कोशिश की। दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वागत कक्ष क्षेत्र में एक शक्तिशाली बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय राजधानी में इससे पहले 25 मई को उच्च न्यायालय के पार्किंग क्षेत्र के पास मामूली विस्फोट हुआ था। अदालत परिसर के गेट संख्या चार और पांच के बीच सुबह 10 बजकर 14 मिनट पर हुए शक्तिशाली बम विस्फोट के समय वहां करीब 200 लोग प्रवेश पास पाने के लिए खड़े हुए थे। उस समय कई वकील भी मौजूद थे। विस्फोट स्थल पर अंगों और मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। इसके साथ ही वहां पर शीशे के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। इस विस्फोट के बाद विस्फोट स्थल पर तीन से चार फुट गहरा गड्ढा हो गया।

सरकार ने विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। →

बम विस्फोट ने खोली सुरक्षा एजेंसियों की पोल : नितिन गडकरी

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक शक्तिशाली बम विस्फोट पर गहरा क्षोभ तथा निराशा अभिव्यक्त की है, जिसमें ग्यारह लोगों के प्राण चले गए तथा कई अनेक लोग गम्भीर घायलावस्था में हस्पताल में पड़े हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने विस्फोट में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों को हार्दिक संवेदनाएं प्रेषित की हैं। श्री गडकरी ने दिल्लीवासियों से आतंकित न होने की अपील की है और कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए अधिकारियों की मदद करें। यह गम्भीर विषय है कि आतंकी ठीक राजधानी पर हमला करते हैं जहां केन्द्र सरकार का शासन है और उन्हें दण्ड भी नहीं मिल पाता है और यह भी कि दिल्ली पुलिस खुफिया एजेंसियों के लम्बे चौड़े दावों की भी पोल खुल गई है, जिससे वे राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के बारे में बात करते रहते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने आतंकवादियों की इस कार्रवाई के बारे में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि दोषियों को शीघ्रातिशीघ्र दण्ड मिल सके। खुफिया एजेंसियों की विफलता की भी जांच होना आवश्यक है। श्री गडकरी ने गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम से कहा है कि वे अपने राजनैतिक विरोधियों पर प्रहार करना बंद करें और अपनी पूर्ण शक्ति आतंकवाद से खतरे से निपटने पर लगाएं। ■

एनआईए प्रमुख एससी सिन्हा ने बताया कि जांच के लिए डीआईजी की अगुवाई में 20 सदस्यीय एक दल बनाया गया है। एक टीवी चैनल ने बताया कि उसे एक मेल मिला है, जो संभवतः हरकत–उल–जिहाद–ए–इस्लामी (हुजी) ने भेजा है। मेल में दावा किया गया है कि यह विस्फोट हुजी ने किया है। हुजी ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की मौत की सजा को वापस लेने की मांग करते हुए यह विस्फोट किया है। यह धमाका अदालत के गेट नंबर पांच पर हुआ। घटना के समय दो सौ लोग प्रवेश पास पाने के लिए अपनी बारी के इंतजार में कतार बांधे खड़े थे और बड़ी संख्या में वकील भी मौजूद थे। जहां धमाका हुआ वहां वरिष्ठ नागरिकों को प्रवेश कार्ड दिए जा रहे थे।

विस्फोट के बाद वहां चारों ओर उनके चश्मे,

चप्पल और कागजात आदि बिखरे पड़े थे। प्रवेश पास बांटने के लिए बनी खिड़की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में घायलों को राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गड़करी और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता बम विस्फोट में बुरी तरह घायल लोगों को देखने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। इन्होंने घायलों के परिजनों को भाजपा की ओर से हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस के महासचिव श्री राहुल गांधी भी बम धमाके के घयलों से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में घटना से आहत परिजनों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। ''शेम–शेम'' और ''राहुल वापस जाओ'' के जमकर नारे लगे।■

आतंकवादियों को कठोर दंड दें : लालकृष्ण आडवाणी

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 7 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए बम विस्फोट के बाद लोकसभा में इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को हर हाल में ढूढ़ निकाला जाना चाहिए और उन्हें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। श्री आडवाणी ने इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम के सदन में बयान के बाद कहा, 'संसद के पास राजधानी में इस तरह की घटना घटी है, हम सभी इसकी निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार ने सदन को जो आश्वासन दिया है, वह अपनी एजेंसियों के जरिए इस घटना की जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।' श्री आडवाणी ने कहा, 'यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि राजधानी में एक बार फिर इस तरह का हमला हुआ है। यह विश्व के लिए भी चिंता का विषय है कि भारत की राजधानी में इस तरह का हमला हुआ है।' ज्ञात हो कि यह हमला ऐसे समय में हुआ हैए जब अमेरिका में 11 सितम्बरए 2001 को हुए हमलों की बरसी करीब है। श्री आडवाणी ने कहा, 'मैं नहीं जानता कि यह हमला 9/11 से कितना जुड़ा हुआ है। लेकिन आतंकवादी अक्सर ऐसी बातें सोचते हैं और ऐसे अवसरों पर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं।' श्री आडवाणी ने कहा कि घटना में हताहत हुए लोगों के शोक में और दोषियों को खोज निकालने के लिए पूरा देश एकजुट है। ■

दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर हुए बम विस्फोट से साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार देश की रक्षा करने और शासन करने में पूरी तरह विफल हो गई है। आतंकवादियों के मन में यह बात अच्छी तरह बैठ गई है कि यूपीए सरकार आतंकवादियों के प्रति लचर और नरम रवैया अपनाए हुए है। जिन आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, उनको भी फांसी के फंदे पर लटकाने से कांग्रेस सरकार गुरेज कर रही है।

–***विजेंद्र गुप्ता,*** çn'k v/;{k] Hkktik

भारतीय और विदेशी गुप्तचर एजंसियों ने बार बार चेतावनियां दी हैं कि दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर है, लेकिन उसके बाद भी बम विस्फोट की यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व कष्टकारक है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही साल में जो दो बार बम धमाके हुए हैं, उससे यह साफ हो गया है कि दिल्ली में पूरी तरह चौकसी नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों दिल्ली और देश में आतंकवाद के खतरे से चिरपरिचित हैं।

–***प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा,***
fnYyh fo/kkulHkk e foi{k d urk

बदले की भावना की राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक : गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 4 सितम्बर को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर प्रतिशोध की राजनीति से बचने का आग्रह किया। उक्त पत्र का हिन्दी भावानुवाद नीचे प्रस्तुत है:

fi; Mk- flg]

आपके नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार द्वारा कुछ क्षोभकारी घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो गया है। यह सभी घटनाएं जनतांत्रिक राजव्यवस्था के मूल सिद्धांतों की विपरीत हैं और विशेष रूप से हमारे देश की सामाजिक–राजनैतिक संस्कृति के लिए हानिकारक हैं।

दुख की बात है कि ये दुखदायी घटनाएं ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब विपक्ष दिल्ली में वयोवृद्ध गांधीवादी अन्ना हजारे द्वारा 12 दिन के अनशन से उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार को हर तरह का सहयोग कर रहा है।

यह देखकर हैरानी होती है कि आपकी सरकार की विभिन्न एजेंसियां टीम अन्ना के सदस्यों, बाबा रामदेव और अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ वीभत्स प्रयासों का सहारा ले रही है जिनमें उनका एक मात्र उद्देश्य बदले की भावना रहती है। ऐसा लगता है कि टीम अन्ना के सदस्यों– अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण, बाबा राम देव और उनके चेरिटेबल संस्थानों तथा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 'नोट के बदले वोट' मामले में 'व्हिसल–ब्लोअर' का काम किया, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ना है। जब आप की सरकार ने बिना बात के आरोप लगा कर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह या कुछ रा.स्व.सं जैसे नेताओं तथा वीएचपी कार्यकर्ताओं पर प्रतिशोध की भावना से आरोप लगाना शुरू कर दिया तो हमें हैरानी नहीं हुई। हमें इस बात पर भी हैरानी नहीं हुई जब आपकी सरकार ने स्वर्गीय वाई.एस.आर रेड्डी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया, जो कभी स्वयं आपकी पार्टी के प्रमुख नेता हुआ करते थे। किन्तु, अब सिविल सोसाइटी के सदस्यों के प्रति हाल ही में जैसा बदले की भावना का रूख अपनाया जा रहा है, वह अत्यंत क्षोभजनक और चिंता का विषय है। निःसंदेह, सभी दोषियों के प्रति कानून को अपना काम करना चाहिए, परन्तु दुःखदायी बात यह है कि जो लोग लोकतंत्र के सिद्धांतों और कानून के नियमों के प्रति वचनबद्ध है, ऐसे चंद लोग जब अपनी विपरीत सम्मति पेश करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ कानून अपना काम शुरू कर देता है।

इन सभी बातों से मुझे आपातकाल की याद आ जाती है जब आज की तरह ही उस समय भी सरकार ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग करके ऐसे लोगों को परेशान किया, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, भले ही वे आरएसएस के लोग हो या गांधीवादी और सर्वोदय संगठनों के लोग हों या अन्य स्वतंत्र एसोसियशनों से सम्बन्ध रखते हों।

सरकारी मीडिया को इस कलुषित अभियानों में शामिल होने के निर्देश दिए गए और कुछ ऐसी हवा चल रही है जिससे लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन देने वाली स्वतंत्र मीडिया का मुंह भी बंद कर दिया जाए।

मुझे भय है कि ऐसा करने से समाधान निकलने की बजाए टकराव ही पैदा होगा।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आपकी सरकार की ऐसी जोर जबरदस्ती और अनुचित सख्त कार्रवाइयों से देश के राजनैतिक वातावरण को कलुषित करेंगी, जो एक स्वस्थ जनतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध होगी। इसके अलावा आपकी सरकार की ऐसी सस्ती चालों से पूरे राजनैतिक वर्ग के लिए गलत धारणाएं पैदा हो रही हैं जो लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म करके नुकसान पहुंचा रही हैं।

अतः मैं आपसे निजी हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि आप अपने अधीन सभी एजेंसियों को नियंत्रित करें और पूरी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली 'बदले की भावना की राजनीति' को समाप्त करें।

vkidk]

fufru xMdjh

~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

प्रभावी लोकपाल का समर्थन करेगी भाजपा : सुषमा स्वराज

गत 27 अगस्त 2011 को लोकसभा में लोकपाल के गठन से संबंधित मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि भाजपा एक प्रभावी, सशक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकपाल के गठन के लिए विधेयक के पक्ष में है। उन्होंने यूपीए सरकार और कांग्रेस के अंतर्विरोधों को भी उजागर करते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर भी निशाना साधा। हम यहां श्रीमती सुषमा स्वराज के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–

आज यह सदन बहुत ही ऐतिहासिक चर्चा कर रहा है। 04 अगस्त, 2011 को इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक लोकपाल का पहला विधेयक नहीं है। लोक सभा में 9वीं बार लोकपाल विधेयक आया है। पिछले 43 वर्षों से यह बिल हिचकोले खा रहा है। संप्रग के सात वर्ष के कार्यकाल में यह विधेयक पहली बार आया है। 43 वर्षों से हम इस बिल को पारित नहीं कर सके हैं। पहली बार जन लोकपाल बिल के आन्दोलन के नाम से अन्ना हजारे जी ने इस बिल को नीचे जनता तक पहुंचा दिया। यह एक जन आन्दोलन बना है और यह जन आन्दोलन भी अकारण नहीं बना। इसका कारण पिछले दो वर्षों में उजागर हुए भ्रष्टाचार के कांड हैं। लोगों को गुस्सा आया है कि एक तरफ तो हमें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, दूसरी तरफ उच्च पदों पर बैठे हुए लोग लाखों–करोड़ों की लूट मचा रहे हैं। जिस सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके नेता कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए कटिबद्ध हैं तो वह प्रतिबद्धता दिखाकर एक ऐसा बिल तो लाओ, जिससे यह लगे कि वह भ्रष्टाचार से लड़ सकेगा। क्या वाकई सरकार प्रतिबद्ध है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए? आज 12वें दिन में अन्ना जी का अनशन प्रवेश कर गया है। 74 वर्ष का व्यक्ति वहां बैठकर लड़ रहा है। लोग उसके साथ जुड़े हैं।

परिस्थितियां असामान्य हैं। रास्ता निकालने के लिए प्रधान मंत्री जी ने अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। जो बात सर्वदलीय बैठक से निकली थी, उससे तो रास्ता समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। बाद में प्रधान मंत्री जी ने स्वयं प्रसंग चलाया और अन्ना के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल बनाएंगे। अगले दिन सरकार कोई मोशन लाने वाली थी, कोई रेजोल्यूशन लाने वाली थी। लेकिन समझ नहीं आया कि सरकार अपने पैर पीछे क्यों हटा रही थी? सरकार ऐसा रास्ता तालाश रही थी, जहां उसे कुछ कमिट न करना पड़े, बल्कि किसी एक मेम्बर के माध्यम से 193 का नोटिस दिलवा करके, वह चर्चा करवा कर एक रस्म अदायगी पूरी कर दें। प्रधान मंत्री जी ने इसी सदन में खड़े होकर एक दिन पहले जो स्टेट्समैनशिप दिखाई थी, उस पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने पानी फेरने का काम किया। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने दोबारा बागडोर अपने हाथ में ली है। सदन के नेता ने आज जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने वे तीनों मुद्दे सदन के सामने रख दिए और सदन को कहा कि संविधान और संसदीय मर्यादा के तहत इसमें से रास्ता निकालिए।

हम बहुत दिनों से यह बात कह रहे हैं कि एक प्रभावी सशक्त और स्वतंत्र लोकपाल बिल होना चाहिए, लेकिन

उसका स्वरूप क्या होगा। इसीलिए उसके प्रभावीपन को तय करने के बारे में पहला मुद्दा है कि क्या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रधान मंत्री होंगे कि नहीं होंगे? प्रधान मंत्री पद लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, मगर दो अपवादों के साथ–नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक आर्डर। ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत सी चीजें प्रधान मंत्री को करनी होती हैं, जो सार्वजनिक हित में पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। दूसरा विषय है.न्यायपालिका का, जूडीशियरी लोकपाल के दायरे में आए या न आए। न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश तो भगवान की मूर्ति होता है, लेकिन अगर वह भ्रष्ट आचरण के दोषी हो जाएं तो क्या करें? उन्हें लोकपाल के दायरे में लाना समस्या का समाधान नहीं है। न्यायपालिका को लोकपाल के नीचे करने के बजाए एक नेशनल जूडिशल कमीशन बनाइए जो जजों की नियुक्तियां और उनके पद मुक्त होने के तरीके तय करे, प्रावधान तय करे और हिन्दुस्तान के अंदर ऐसी न्यायपालिका आए जिस पर कोई प्रश्न चिह्न न लग सके। तीसरा विषय सीबीआई का है। जन लोकपाल बिल का कहना है कि सीबीआई के एंटीकरप्शन विंग को लोकपाल के नीचे कर दिया जाए। बहुत दिनों से हम सीबीआई को स्वायत्त बनाने की बात कर रहे हैं कि ऑटोनामस इंस्टिटयूशन होनी चाहिए।

सी॰बी॰आई॰ एक स्वायत्त संस्था बने और अगर जन लोकपाल चाहता है भ्रष्टाचार निवारण विंग लोकपाल के नीचे कर दिया जाए तो हम उससे सहमत हैं। संविधान की धारा 105 सांसदों को हाउस के अंदर के व्यवहार और आचरण के लिए उन्मुक्ति देती है। वह उन्मुक्ति बनी रहनी चाहिए। लेकिन जहां तक बाहर के आचरण का सवाल है तो हम बाहर साधारण नागरिक हैं। हम पर बाहर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू है। इसलिए बाहर का आचरण लोकपाल के घेरे में आये, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक लोकपाल के गठन का संबंध है, उसमें सरकारी पक्ष के लोग कम और गैर–सरकारी ज्यादा होने चाहिए, तभी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल बन पाएगा। इसके गठन के समय यह ध्यान रखा जाना कि इसमें संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि न तो सरकार का बाहुल्य हो और न ही सरकार की पूरी अनदेखी हो। नेता सदन ने अपने वक्तव्य में तीन प्रश्न उठाए हैं। एक यह है कि क्या एक ही अधिनियम से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है। संविधान अनुच्छेद 252 में हमें यह अधिकार भी देता है कि दो राज्यों के समर्थन से यह लोक सभा एक सामर्थ्यकारी प्रावधान के साथ ऐसा कानून बना सकती है जिसे बाद में राज्य स्वीकार कर सकें। इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं। जहां तक शिकायत निवारण तंत्र का सवाल है कई राज्यों में बहुत ही प्रभावी लोकसेवा प्रदाय विधेयक बने हैं। सारी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार उस तरह के सिटीजन्स चार्टर के साथ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट्स बना सकती हैं। तीसरा विषय अधीनस्थ नौकरशाही का है। आज आम आदमी किसी बड़े आदमी के भ्रष्टाचार से क्रोधित है लेकिन उतना परेशान नहीं है क्योंकि उसका उससे वास्ता ही नहीं पड़ता। वह तंग होता है छोटे अफसर से। कहीं न कहीं जन लोकपाल बिल ने यह आकांक्षा जता दी है कि हम जो यह हथियार ला रहे हैं वह हमें उससे छोटे भ्रष्टाचार से बचाएगा। इसलिए वे यह उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि यह जन लोकपाल बिल मेरे मर्ज का इलाज होगा। इसलिए यह जो निम्न स्तर पर नौकरशाही की बात है, उस पर भी हमारी पार्टी सहमत है। ये तीन विषय जो विचारार्थ नेता सदन ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, इन तीन विषयों पर मैं अपनी पार्टी की सहमति इस सदन में दर्ज कराती हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी पीढ़ी ने बहुत भ्रष्टाचार भोगा है लेकिन हमारी भावी पीढ़ियां इस त्रास को न भोगें। इसके लिए आज इतिहास ने हमें मौका दिया है। इस मौके को हम चूक. नहीं। आज पूरा देश भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उद्वेलित है और हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है। इस विधेयक का भी वह हश्र न हो जो पुराने आठ बिलों का हुआ है। आज इस सदन से सरकार को यह संदेश जाए कि प्रभावी, सशक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल इस देश में आए, जो आम आदमी को उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। ■

तीन विषय जो विचारार्थ नेता सदन ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, इन तीन विषयों पर मैं अपनी पार्टी की सहमति इस सदन में दर्ज कराती हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी पीढ़ी ने बहुत भ्रष्टाचार भोगा है लेकिन हमारी भावी पीढ़ियां इस त्रास को न भोगें। इसके लिए आज इतिहास ने हमें मौका दिया है। इस मौके को हम चूक. नहीं। आज पूरा देश भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उद्वेलित है और हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है। इस विधेयक का भी वह हश्र न हो जो पुराने आठ बिलों का हुआ है। आज इस सदन से सरकार को यह संदेश जाए कि प्रभावी, सशक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल इस देश में आए, जो आम आदमी को उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए।

आइए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए पहले स्वयं को भ्रष्टाचार से मुक्त करें : डॉ. मुरली मनोहर जोशी

लोकसभा में 'देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के बारे में' हुयी चर्चा में भाग लेते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने व्यंगात्मक लहजे में कहा कि सरकार कहती है ''भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारे पास कोई ''मैजिक वैंड'' छड़ी नहीं है।'' मैजिक वैंड नहीं है यह कहने से काम नहीं चलेगा, सरकार को मैजिक वैंड ईजाद करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मानसिकता को कि अगर कोई भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो आप उसका दमन कर दें, उस पर लाठी चला दें, उसे बंद कर दें। हम यहां डॉ. जोशी के भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–

हम आज जिस परिस्थिति पर सदन में विचार कर रहे हैं वह सामान्य नहीं है। देश के कोने–कोने से, हजारों–लाखों की संख्या में लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सभी राजनीतिक दलों और सरकारों के लिए चेतावनी है। मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा हैं कि वर्ष 2005 से 2011 तक इस देश में केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न स्थानों पर बड़े नेताओं, अफसरों, उद्योगपतियों और न्यायपालिका के भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई हैं। 2005 में ऑयल फार फूड प्रोग्राम का स्कैम हुआ। वर्ष 2006 में नेवी वार रूम स्पाई स्कैंडल, स्कार्पिन डील स्कैम और स्टैम्प पेपर स्कैम हुआ। वर्ष 2008 में सत्यम स्कैम, हसन अली खान टैक्स डिफाल्ट, कैश फार वोट स्कैंडल हुआ। वर्ष 2009 में मधुकौड़ा माइनिंग स्कैम हुआ। वर्ष 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग स्कैम हुआ। इसरो देवास ऐस बैंड स्पेक्ट्रम स्कैम, लावासा स्कैंडल, हाउसिंग लोन स्कैम वर्ष 2010 में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, 2जी स्कैम, राडिया टेप कन्ट्रोवर्सी स्कैम हुआ। मैं केवल बहुत महत्वपूर्ण घोटालों की लिस्ट बता रहा हूं। इसके अलावा हमारे देश का अरबों–अरब रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। हमारे देश का पूंजीगत व्यय 60,000 करोड़ रुपया सालाना है और उसका 55 प्रतिशत घोटालों में जा रहा है। इंडिया करप्शन स्टडी 2005 के अनुसार इस देश के सामान्य नागरिक प्रतिवर्ष 21,068 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। ये 21068 करोड़ रुपए गरीब आदमी की जेब से निकलता है और उस पर मंहगाई की मार डालता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत आज भ्रष्टाचार के मामले में 178 देशों में से 87वें नम्बर पर है। भारत का रुपया बाहर गया, उसके बारे में क्या कहना है? अगर सरकार गंभीर है तो क्या यह बताएगी कि भारत के किन लोगों का और कितना पैसा विदेशों में है और उसमें से कितना टैक्स अवॉइड करके किस रास्ते से गया है? आप उस पैसे को क्यों नहीं लाते हैं? उसके बारे में अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो हम सब इसके लिए तैयार हैं। भारत का काला धन जो विदेशों में जमा है, वह वापस लाया जाना चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। हालात यह है कि विदेशी कंपनियां हमारे यहां घूस दे रही हैं और हमारे अफसर घूस ले रहे हैं। अनेक विदेशी कंपनियां यहां व्यापार में प्रतिस्पर्धा के लिए घूस दे रही हो। बहुत जगह उसको बिजनेस प्रमोशन माना जा रहा है। इन विदेशी कंपनियों का घूस का पैसा हिन्दुस्तान में नहीं यह वहीं का वहीं बाहर जमा हो रहा है। क्या आप अपने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है, दंडित करेंगे? इंडिया रिज्युवेनेशन इंनिशिएटर से संबधित रिटायर्ड चीफ जस्टिस, पुलिस अधिकारी व इलेक्शन कमिश्नर ने आपको चिट्ठियां लिखी हो।

सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों की सूची दी गयी। आप उन पर क्या करवा रहे हो? आपने हसन अली वाले मामले में क्या एक्शन लिया? इस मामले में जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए, वे इतने कमजोर थे कि उससे उसे जमानत

मिल गयी। आजकल एक और तरीका आ गया है। विदेशी संस्थानों से लोगों को, एसोसिएशन को तीन साल में 28 हजार आठ सौ उन्यासी करोड़ रुपया मिला है। इससे क्या काम हो रहे हैं, क्या इसकी कोई जांच–पड़ताल है? माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में खुद कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। यदि ऐसा है तो आप ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते कि भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा सके। फिर आप कहते हैं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह कहने से अब काम नहीं चलेगा। अगर मैजिक वैंड नहीं है तो मैजिक वैंड को ईजाद करना होगा। वह रास्ते लाने पड़ेंगे। आज साइंस ने बहुत तरक्की की है। मैजिक वैंडज़ आ सकते हैं, ई–गवर्नेन्स से सब हो सकता है। आप देखिए कि 2 जी, के.जी., सी. डब्ल्यू. जी. और आदर्श कितने घोटाले हो रहे हैं। जो तथ्य आ रहे हैं वे ऐसे हैं कि जो कुछ बयान आपने दिए हैं, वे कई जगह परस्पर विरोधाभासी हैं या सत्य के केन्द्र से मीलों दूर हैं। आपने 24 अक्तूबर, 2009 को प्रैस कांफ्रेंस की और वहां थाईलैंड में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि विपक्ष द्वारा राजा के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही ही हों, फिर वे पकड़े गए, मुकदमा हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि आपने जो कहा था वह गलत था। आप बराबर कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था। राजा आपको चिट्ठी लिख रहे हैं। पार्लियामेंट के मैम्बर आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी कि सिक्योरिटी का इसमें कोई ध्यान नहीं है। आप स्वयं भी उससे कह रहे हैं कि नीलामी का रास्ता ठीक होगा। लेकिन वह कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, नीलाम नहीं करना है। सारी पॉलिसी को उलट–फेर किया जा रहा है। फिर भी आपके मंत्री कह रहे हैं कि जीरो–लॉस है। सच्चाई को, जांच को छिपाने और दबाने की यह जो नापाक साजिश की जा रही है, इसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को अपनी नेकनीयती का सुबूत देना होगा। आपको यह साबित करना होगा कि भ्रष्टाचार चाहे जहां हो, आप उसको दबाने के पक्ष में नहीं हैं। आप सामने लाकर दंडित करने के पक्ष में हैं। सन् 2008 में इकोनोमिक टाइम्स के प्रथम पृष्ठ पर खबर छपी कि मिनिस्ट्री ऑफ डी. ओ. टी. ने इन दस कंपनियों को कल एल. ओ. आई. इश्यु करने का तय किया है और अगले दिन इन्हीं दस कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, जिनके नाम थे। उस पर क्यों नहीं इंक्वायरी की गई, उसे क्यों नहीं रोका गया। वित्त मंत्रालय क्यों चुप्पी लगाए बैठा था, क्यों चुप बैठा था? अब देखिए, के. जी. के बारे में 2007 से समाचार आने लग गए थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। के. जी. बेसिन, के अन्दर उद्योगपतियों ने एक हेराफेरी इस तरह की कि जो पहले उनके प्रोजेक्ट में उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट थी, वह दोगुनी–चौगुनी बढ़ा दी गई और उसके कारण से उनको भारी फायदा हुआ। इसकी वजह से गैस की प्राइस बढ़ गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इसके विरुद्ध शिकायत की लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। अब कहा जाएगा कि मामला अभी कोर्ट में गया हुआ है। मगर मैकेनिज्म को स्थापित करने का काम आप क्यों नहीं करते हैं? जब यह प्राइस बढ़ी, तो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एप्रोच किया कि दाम मत बढ़ाओ। अगर गैस का दाम बढ़ेगा तो पॉवर का दाम बढ़ेगा किंतु उन्होंने कह दिया कि मिनिस्ट्री का इस बात में कोई रोल नहीं है। इस सबके बाद प्रधान मंत्री जी ने एक ई. जी. ओ. एम. बनाया जिसके सामने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट लिखी किंतु उस रिपोर्ट पर ही सवाल उठाये गए कि यह मंत्रालय ने बनायी है या आर. आई. एल. के अधिकारियों ने बनायी है। रोज बताया जाता है कि तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गए, इसलिए गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यह गलत तर्क है।

सी.ए.जी. के क्या अधिकार हैं? सी.ए.जी. के क्या और अधिकारी होने चाहिए, इस पर अगर सदन जिस दिन चर्चा करेगी तो मैं आपको उस दिन बताऊंगा। आप ने सी.ए.जी. की क्या हालत कर रखी है? आप उसे अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आपके अधिकारी फाइल्स छिपा लेते हैं, डिले करते हैं। यह सब रुकना चाहिए। ट्रांस्पैरेन्सी अगर है तो सब जगह होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करुंगा कि अपने सहयोगियों को यह बताएं कि सरकारी आदेशों को भी पढ़ लिया करें। सरकार की क्या नीति है, वे उसे भी पढ़ लिया करें। उसके बाद सार्वजनिक कमेंट करें। यह अजीब बात है। आप ऑडिटर पर कमेंट कर रहे हैं। मैं सी.डब्ल्यू.जी. के बारे में इतना ही कहूंगा कि आपने वर्ष 2009 में एक ऑडिट करवाया था जिसमें आपने सी.ए.जी. से कहा था कि तैयारियों के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है? आपने उसकी रिकमैंडेशन पढ़ी है। वे बार–बार कहते हैं कि यह कमी है, वह कमी है। उसके अंदर कैसे प्राइस के एसक्लेशन्स होते चले गए, तीन–तीन गुना, चार–चार गुना हो गए। रिपोर्ट कह रही है कि कमियां हैं।

यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। फिर भी वही का वही है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सब आपकी

कार्यपालिका को न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए : अरुण जेटली

गत 27 अगस्त 2011 को ''लोकपाल के गठन से संबंधित मुद्दे'' पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के प्रारूप पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार किया जाना चाहिए साथ ही शिकायतों और नियुक्तियों के मामलों से निपटने हेतु एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाये जाने की आवश्यकता है। हम श्री जेटली के भाषण के सम्पादित अंश यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :–

मने अभी बातचीत की संपूर्ण पृष्ठभूमि पर वित्त मंत्री का विस्तृत वक्तव्य सुना। हमने अभी इस बहस में भाग लेने के लिए जबरदस्त उत्साह भी देखा। श्री अन्ना हजारे के अनशन से उत्पन्न घटनाओं पर यह तीसरी बहस है। पहली सरकार द्वारा श्री अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने पर हुई थी। दूसरी बहस में हमने यह चर्चा की थी कि भ्रष्टाचार की इस विकराल समस्या से किस प्रकार निपटना है। आज हम सबकी परिपक्वता और लोकतंत्र की परीक्षा है। सारे देश में एक लोकप्रिय विरोध प्रदर्शन ने हमें एक संदेश दिया है कि इस देश के लोग भ्रष्टाचार की मौजूदा यथास्थिति को और ज्यादा स्वीकार करने का तैयार नहीं हैं जो कि बहुत से क्षेत्रों में जीवन का हिस्सा बन गया है। उच्च पदों पर बैठे लोग सामान्यतः छूट जाते हैं। हमने संसद और सांसदों के बारे में कुछ असम्मानजनक वाले वक्तव्य भी सुने। हम किस तरह उन पर प्रतिक्रिया देते हैं वही इन सभी दिए गए वक्तव्यों को भारतीय लोकतंत्र का बेहतर जवाब होगा।

आज हम केवल किस प्रकार का लोकपाल होना चाहिए इसके मूल मानदंडों के बारे में फैसला कर रहे हैं। हम इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों और इससे बाहर रखे जाने वाले क्षेत्रों के बारे में भी फैसला कर रहे हैं। सामान्य तंत्र आज तक कभी सफल नहीं रहे हैं। हमें ऐसा समाधान नहीं अपनाना है जो संविधान के अनुरूप न हो। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में सर्वप्रथम लोकपाल और लोकायुक्तों की स्थापना की सिफारिश की थी। नागरिक चार्टर या लोक शिकायतें कोई नई अवधारणा नहीं है। लोक शिकायतें और राज्यों में लोकायुक्त की अवधारणा 1968 के विधेयक का हिस्सा थी। यह ऐसा नहीं है कि अभी–अभी लाया गया है और अचानक हम इससे रूबरू हो रहे हैं। ऑम्बड्समैन एक स्कैंडीवियन अवधारणा थी। डॉ. एल.एम. सिंघवी ने इस शब्द का हिन्दी में अनुवाद लोकपाल के रूप में किया था। यह एक संयोग ही है कि उनके प्रतिष्ठित पुत्र डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को इस विधेयक का अंतिम प्रारूप तैयार करना है। मुझे आशा है वह अपनी इस महान विरासत को ध्यान में अवश्य रखेंगे। वस्तुतः डॉ. एल.एम. सिंघवी ने लोकपाल या लोकायुक्त को इस तरह परिभाषित किया था कि यह लोक शिकायतों के निवारण के लिए ऑम्बड्समैन का भारतीय रूप है। इसमें इसका उत्तर है कि लोकपाल के क्या कार्य होने चाहिए। लोकसभा ने 1969 में लोकपाल विधेयक पारित किया था परन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के चलते तत्कालीन लोकसभा भंग हो गई थी और राज्यसभा विधेयक को पारित नहीं कर सकी थी। अन्यथा इस देश में 1969–'70 में ही एक लोकपाल होता। हमें कानून जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहिए। हमने 1968 से इस विधेयक से संबंधित नौ प्रारूप तैयार किए। लोकतंत्र इतना सुस्त नहीं हो सकता कि इसे इस सहमति पर पहुंचने के लिए 42 वर्ष लगते हैं कि यह विधेयक कैसा होना चाहिए। अब समय आ गया है कि जब केन्द्र के स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त एक सच्चाई बनने चाहिए।

हमें न केवल सिविल सोसायटी द्वारा बल्कि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उठाए गए इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। हमें कानून बनाते समय दो मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। किसी भी विकासशील और परिपक्व समाज में सभ्य समाज के लिए भूमिका रहेगी। उनमें से कुछ एक ऐसा दृष्टिकोण अपना सकते हैं जो कार्यान्वयन से परे हो। परन्तु हमें कुछ मुद्दों पर एक प्रणेता के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। हमारे पास उनसे सहमत या असहमत होने का विकल्प है। यहां तक कि दबाव समूह जब समाज में दबाव बनाते हैं तो हमें उनके दबाव

बनाने के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए परन्तु उससे उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हमें कानून बनाते समय भारतीय समाज के मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों व हमारे संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। हमें तार्किकता को अभी भी ध्यान में रखना है और जहां तक इन सिद्धांतों का संबंध है तदनुसार कानून बनाना है। मैं सबसे पहले उनके द्वारा रखे गए छः प्रश्नों पर आता हूं। क्या एक अधिनियम से केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए? राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति केन्द्र द्वारा नहीं की जाएगी। जहां तक राज्यों का संबंध है तो इसके लिए राज्य की अपनी प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। एक लोकपाल या लोकायुक्त से क्या किए जाने की आशा है? जब एक शिकायत की जाती है कि कोई लोक सेवक कदाचार में शामिल है तो उसे साक्ष्य की जांच करनी है। इसमें साक्ष्य का आकलन शामिल है। साक्ष्य का आकलन उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जो निष्पक्ष हैं। कोई भी, जिसकी नियुक्ति एक उद्देश्य से की जाती है या जो साक्ष्य के आकलन की कला से भलीभांति परिचित नहीं है, जिसकी जांच या न्यायिक या अर्धन्यायिक सक्षमताएं संदेह में हैं, ऐसा नहीं कर सकेगा। हमें ईमानदारी के उच्च मानकों की आवश्यकता है।

परन्तु जब हम ऐसा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या हम संघीय ढांचे पर समझौता कर सकते हैं? यही अंर्तद्वन्द्व हैं। मैं वित्त मंत्री जी की चिंता से सहमत हूं। एक उपलब्ध विकल्प यह है कि आप उन क्षेत्रों के बारे में कानून बना सकते हैं जहां केन्द्रीय विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। जहां आपको लगता है कि केन्द्रीय विधायिका का अधिकार क्षेत्र नहीं है तो आपसे पास दो विकल्प हैं या तो आप इसे राज्यों पर छोड़ दें या अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दो राज्यों की सहमति से केन्द्रीय विधायिका एक कानून बना सकती है। आपके पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। राजनैतिक दलों के समक्ष दूसरा मुद्दा आपने यह रखा था कि क्या प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। हमने सभी तर्क पर्याप्त रूप से सुने। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री केवल संसद के प्रति उत्तरदायी हैं और संसद को कभी भी प्रधानमंत्री पर उसी तरह लागू होते हैं जैसे भारत के किसी अन्य नागरिक पर होते हैं। जब आप लोकपाल का विशेष प्रक्रियातंत्र बना रहे हैं तो आप यह कहकर कि यह प्रक्रिया प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगी सारभूत कानून का लागू किया जाना रोकना चाहते हैं।

सरकार के प्रारूप पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मेरी समझ से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस प्रकार का प्रयोग नहीं झेल सकता और इसलिए एक अधिक तार्किक दृष्टिकोण जिस पर व्यापक आम सहमति उभर रही है, वह यह है कि प्रधानमंत्री को इस कानून के अधिकार क्षेत्र में रखा जाये। आज इस तर्क को मानना बड़ा कठिन है कि प्रधानमंत्री को केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जब वह प्रधानमंत्री न रहे। मैं समझता हूं कि पूरी सभा की भावना के रूप में शिकायतों और नियुक्तियों के मामलों से निपटने हेतु एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाये जाने की आवश्यकता है। हमें एक मौलिक सिद्धांत ध्यान में रखना होगा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सरकार के प्रारूप पर गंभीरतापूर्वक पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मेरी समझ से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस प्रकार का प्रयोग नहीं झेल सकता और इसलिए एक अधिक तार्किक दृष्टिकोण जिस पर व्यापक आम सहमति उभर रही है, वह यह है कि प्रधानमंत्री को इस कानून के अधिकार क्षेत्र में रखा जाये। आज इस तर्क को मानना बड़ा कठिन है कि प्रधानमंत्री को केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जब वह प्रधानमंत्री न रहे। मैं समझता हूं कि पूरी सभा की भावना के रूप में शिकायतों और नियुक्तियों के मामलों से निपटने हेतु एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाये जाने की आवश्यकता है।

संसद सदस्यों के आचरण के संबंध में एक ओर जहां घूस और भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर सभा की गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है कि सभा के भीतर आचरण के संबंध में सत्यनिष्ठा की बात आने पर सभा कार्रवाई नहीं करती। जहां तक सभा के बाहर अनुचित व्यवहार का संबंध है तो निश्चित रूप से कोई संसद सदस्य अनुच्छेद 105 के अधीन किसी छूट का दावा नहीं कर सकता। कोई भी लोकपाल विधेयक आवश्यक रूप से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। हमारा प्रथम उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत को एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल अवश्य मिले और दूसरा उद्देश्य यह है कि वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अवश्य ही समाप्त होना चाहिए और अन्ना हजारे से उनका अनशन समाप्त करने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए।

शेष पृष्ठ 19 पर...

गुजरात के राज्यपाल को वापस बुलाओ

2 सितम्बर को भाजपा के एक शिष्टमण्डल ने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें गुजरात के राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की असंवैधानिक नियुक्ति पर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन का हिन्दी भावानुवाद नीचे प्रस्तुत है:

महामहिम राष्ट्रपति जी,

हमें गुजरात राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति पर वहां के राज्यपाल ने 26 अगस्त 2011 की अधिसूचना द्वारा की गई असंवैधानिक अनौचित्यताओं के बारे में आपको सूचित करने को बाध्य होना पड़ा है। राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य की निर्वाचित सरकार की सहायता और परामर्श के बिना जस्टिस आर.ए. मेहता को लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्णय ले लिया। राज्यपाल ने संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग किया और इसके बाद दिए गए तथ्यों से यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ऐसा करना देश के परिसंघीय राजव्यवस्था को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी। जैसा कि भारत के संविधान में निहित है कि राज्यपाल को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वस्तुतः राज्यपाल केन्द्र सरकार का मनोनीत होता है जो संवैधानिक पद पर बना रहता है और इस पद की नियत कार्यों को करता है। कुछ कार्यों को छोड़ कर राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से काम करने के लिए बाध्य है और अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं कर सकता है।

2. गुजरात राज्य में कुछ वर्षों से लोकायुक्त नहीं था। राज्य विधानसभा के माननीय विपक्षी नेता से परामर्श करने और गुजरात हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस से सहमति प्राप्त करने के बाद 2006 में राज्य सरकार ने राज्यपाल को राज्य के लोकायुक्त के रूप में जस्टिस (रिटायर्ड) क्षितिज आर व्यास को नियुक्त किया था।

3. गुजरात लोकायुक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से तथा राज्य विधानसभा के विपक्षी दल के परामर्श कर लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। कानून की मंशा यही है कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार की नियुक्ति से अलग नहीं रखा जा सकता है क्योंकि भारत के संविधान ने अनुच्छेद 163 के अनुसार मुख्य मंत्री चीफ जस्टिस और विपक्षी नेता से परामर्श करता है और राज्यपाल को सिफारिश करता है। राज्यपाल एक्जीक्यूटिव मुखिया होने के नाते लोकायुक्त को नियुक्त करता है।

4. 2006 से 2009 तक उपर्युक्त रूप में लोकायुक्त की नियुक्ति का विषय निष्क्रिय बना रहा क्योंकि राज्यपाल ने आवश्यक कदम नहीं उठाए। केन्द्र में सत्ताधारी गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी की राजनैतिक मंशा उस समय स्पष्ट हो गई जब महाराष्ट्र सरकार ने, जहां कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार की प्रमुख पार्टी है, जस्टिस व्यास को महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस–नीत सरकार का यह कदम केवल कांग्रेस हाई कमान के इशारे पर शरारत से भरा है ताकि गुजरात के राज्यपाल जस्टिस व्यास को लोकायुक्त के रूप मे नियुक्ति सम्बन्धी फाइल को तीन लम्बे वर्षों तक दबाए रखे और फिर 2 अक्तूबर 2009 को गुजरात सरकार को वापिस किया जाए और कहा जाए कि दूसरे विकल्प कर लोकायुक्त नियुक्त किया जाए।

5. इसके बाद, गुजरात सरकार ने नए सिरे से परामर्श की प्रक्रिया शुरू की और उस आधार पर चार रिटायर्ड जजों के नाम गुजरात हाईकोर्ट को भेजे। किन्तु, इस अवसर पर, राज्य सरकार का राज्यविधान सभा में विपक्षी नेता से परामर्श करने का प्रयास विफल रहा क्योंकि विपक्षी नेता ने इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई पांच बैठकों में से किसी में भी भाग नहीं लिया। विपक्षी नेता से परामर्श करने का बार–बार प्रयास किया गया परन्तु उसने इस बारे में परामर्श करने से इंकार किया और अन्ततः 5 मार्च 2010 को यह सुझाव देते हुए जवाब दिया कि वह अपनी राय मुख्यमंत्री को नहीं देंगे, बल्कि राज्यपाल से ही बात करेंगे। विपक्षी नेता ने सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया तो उधर राज्यपाल ने, जिससे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और निष्पक्ष रूप से काम करने की उम्मीद की जाती है, कांग्रेस पार्टी के हुकुम के मुताबिक काम किया और सभी प्रकार के लोकतांत्रिक नियमों और संवैधानिक

सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी। राज्यपाल ने संवैधानिक निर्देशों का अति उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की शक्तियां भी छीन ली और यहां तक कि राज्यपाल ने सीधे मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता से परामर्श बैठकें करना शुरू कर दिया।

6. अन्ततः गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा सुझाए गए नामों में से राज्य सरकार ने जस्टिस (रिटायर्ड) जे.आर. वोहरा को लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सिफारिश की। परन्तु, राज्यपाल ने इस आधार पर फाइल वापस कर दी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिन नामों का पैनल भेजा है, उनमें से राज्य सरकार एक नाम का चयन करे। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवल एक नाम चुने।

7. इसी बीच, चीफ जस्टिस ने जस्टिस (रिटायर्ड) जे.आर. वोहरा को गुजरात में जुडिशियल एकाडमी का चेयरमेन नियुक्त कर दिया जिससे राज्य लोकायुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति की संभावना समाप्त हो गई)

8. इसके बाद, चीफ जस्टिस ने जस्टिस एसडी दवे का नाम भेजा जो एक रिटायर्ड तथा वृद्ध जज थे, अतः उन्होंने लोकायुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति पर अनिच्छा प्रगट कर दी।

9. 7 जून 2011 को गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वेच्छा से एक नया नाम जस्टिस (रिटायर्ड) आर. ए. मेहता को लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री को सिफारिश की, हालांकि राज्यसरकार ने उक्त नाम पर चीफ जस्टिस से परामर्श नहीं किया था। राज्य सरकार ने चीफ जस्टिस को सूचित किया कि वह लोकायुक्त के रूप में जस्टिस मेहता के नाम को स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि मुख्यतः श्री मेहता पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर राज्य सरकार के खिलाफ लगते हैं जैसा कि जज के रूप में रिटायर्ड होने के बाद उनका इस अभियान में सक्रिया भागीदारी से पता चलता है।

10. स्पष्टतः, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसा नाम की लोकायुक्त के रूप में सिफारिश नहीं करना चाहिए जो स्पष्ट ही वर्तमान सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, जबकि यह एक ऐसा पद है जिसमें न्याय और निष्पक्षता होना सर्वप्रथम आवश्यक है। जो भी हो, चीफ जस्टिस को राज्य सरकार से प्रक्रिया शुरू किए बिना नाम की सिफारिश करने का हक नहीं है और न ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है।

11. इस विषय में हस्तक्षेप करने और नियुक्ति की असंवैधानिक प्रक्रिया को रोकने की बजाए राज्यपाल ने 26 अगस्त 2011 को जस्टिस (रिटायर्ड) आर.ए. मेहता को लोकायुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। भारत की पूरी की पूरी परिसंघीय राज व्यवस्था इस बात से चौपट हो गई है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना नियुक्ति कर दी और इसके अलावा यह भी उन्होंने एक तरफा ढंग से ऐसे व्यक्ति को लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जो राज्य सरकार का राजनैतिक विरोधी है। राज्यपाल के इस कदाशयपूर्ण कार्य से यह गम्भीर आंशका राज्य के लोगों के मन में पैदा हो रही है कि केन्द्रीय सरकार निर्वाचित राज्य सरकार के खिलाफ बुरी भावना लेकर चल रही है।

इन परिस्थितियों में, हम आप महामहिम से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस विषय में हस्तक्षेप करें और संविधान को बहाल करें तथा हमारी राजव्यवस्था के परिसंघीय चरित्र पर प्रहार से बचाए जिसके लिए आवश्यक है कि क्योंकि राज्यपाल ने निष्पक्ष ढंग से अपने कार्य का निर्वाह नहीं किया है, इसलिए उसे तत्काल वापस बुला लिया जाए। उपर्युक्त तथ्यों के विवरण से जाहिर है कि राज्यपाल से सम्बद्ध उच्च संवैधानिक स्थिति को राज्यपाल ने बदनाम कर दिया है और उनके इस पद पर बने रहने से यह गरिमामय पद और अधिक कलुषित तथा अवमूल्यन की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। हमारा आपसे निवेदन है कि संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्र के परिसंघीय संतुलन को बनाए रखेन के पद के माध्यम से चालबाजी कर राज्य के काम में केन्द्र द्वारा अनुचित हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है। हमारा आपसे यह भी निवेदन है कि आप जस्टिस (रिटायर्ड) आर.ए. मेहा की नियुक्ति को रद्द कर दें क्योंकि यह भारत के संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करता है।

भवदीय

¼ykyÑ".k vkMok.kh½	¼v#.k tsVyh½	¼,l-,l- vgyqokfy;k½
(सुषमा स्वराज)	(गोपीनाथ मुण्डे)	

~~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

बेलगाम होते आतंकी हमले

& cychj it

fnल्ली उच्च न्यायालय पर विगत 7 सितम्बर 2011 को हुआ आतंकी हमला सत्ता अधिष्ठान की शिथिलता के साथ आतंकवाद पर काबू पाने की उसकी विफलता का भी प्रमाण है। तीन महीने तेरह दिन पहले भी आतंकियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निशाना बनाया था। कम मारक क्षमता वाले उक्त बम विस्फोट में जानमाल की उतनी क्षति नहीं हुई थी, किंतु इस बार के हमले में एक दर्जन बेकसूर लोगों के मरने और पचहत्तर से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। गृहमंत्रालय ने इसे दिल्ली पर आतंकी हमला बताने के साथ इस बात की भी खानापूर्ति कर दी कि हमले की कोई खुफिया जानकारी उसे नहीं थी। क्या जिन आतंकी हमलों के बारे में गृहमंत्रालय को पहले से जानकारी थी, वह उन्हें रोक पाई? नहीं तो क्यों? देश की संप्रभुता के प्रतीक संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक–चौबंद करने का दावा करते हुए आतंकी हमलों की जांच के लिए अलग एजेंसी–आईएनए बनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए विशेष नेटवर्क की स्थापना करने और थल व समुद्री सेना की निगरानी को मजबूत बनाने का भी दावा किया गया था। लेकिन दिल्ली पर हुआ ताजा हमला आतंकी हमले को रोक पाने में सरकार के तमाम दावों को खोखला साबित करता है।

अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद जहां हमलों की पुनरावृत्ति नहीं होने दी, वहीं इसके जिम्मेवार आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया। दूसरी ओर भारत संसद और मुंबई हमले के असली गुनहगारों को पकड़ पाने में नाकाम रहा है। जिनको गिरफ्तार किया भी गया, उनमें से एक, अफजल गुरु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी सुनाए जाने के बावजूद सरकारी मेहमाननवाजी का आनंद ले रहा है तो दूसरे, अजमल कसाब को तमाम साक्ष्यों के बावजूद जिंदा रखा गया है। मुस्लिम वोट बैंक की कुत्सित राजनीति के कारण कांग्रेस देशहित को ताक पर रखती आई है। सत्ता पर आते ही उसने 'पोटा' जैसे सख्त कानून को वापस ले लिया था। मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी वर्ग को खुश करने के लिए वह इस्लामी आतंक और उसे पोषित करने वाले पाकिस्तान का कटु सत्य स्वीकारना नहीं चाहती। सत्ता अधिष्ठान के पास न तो अमेरिका जैसी इच्छाशक्ति है और न ही उसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। सेकुलर सत्ता अधिष्ठान क्षुद्र राजनीतिक अवसरवाद के कारण आतंकवाद से कड़ाई से निपटने में जहां परहेज करता आया है, वहीं कांग्रेस के आला नेता आतंकियों के समर्थन में भी खड़े होते रहे हैं। दिल्ली के बाटला हाउस मुठभेड़ से लेकर मुंबई हमलों तक ऐसे कई उदाहरण हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के लिए तो दुनिया का दुर्दांत आतंकी ओसामा बिन लादेन भी सम्मान का पात्र है। उन्हें ओसामा 'जी' को समुद्र में दफनाए जाने से पीड़ा हुई थी। यह कैसी मानसिकता है?

पाकिस्तानी हुक्मरानों के संरक्षण में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में सुरक्षित छिपा बैठा था, यह सच दुनिया के सामने आने के बाद पाकिस्तान की नीयत और नीति पर किसी को शंका नहीं रह गई है। किन्तु भारत का सेकुलर सत्ता अधिष्ठान पाकिस्तान से मैत्री करने और उसे गले लगाने की छटपटाहट में उसके भारतविरोधी चरित्र और इतिहास की अनदेखी करता रहा है। यह स्थापित सत्य है कि भारत में इस्लामी आतंकी हमलों का जनक मूलतः पाकिस्तान है। किंतु यदि पाकिस्तान को सफलता मिल रही है तो इसके लिए विकृत सेकुलरवाद के साथ देश में मौजूद भारत विरोधी जिहादी मानसिकता भी जिम्मेवार है। क्या स्थानीय सहायता के बिना दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, नासिक, अहमदाबाद आदि जगहों पर आतंकी हमला संभव हो सकता है? और यक्ष प्रश्न यह भी कि भारत विरोधी ऐसे चेहरों को बेनकाब होने से बचाने के लिए सेकुलरिस्ट मजहबी भावनाओं को दोहन क्यों करने लगते हैं? इस्लामी आतंक की तुलना में 'हिन्दू आतंक' का हौवा खड़ा करने का प्रयास इसी सेकुलर वीभत्सता को रेखांकित करता है। वह कौन सी मानसिकता है, जो सेकुलरिस्टों को बाटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर शर्मा की शहादत को लाक्षित करने के लिए प्रेरित करती है और आजमगढ़ में बसे आतंकियों के साथ खड़ा करती है? कोयंबटूर हमले के आरोपी अब्दुल नसीर मदनी को पैरोल पर रिहा कराने के लिए केरल विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्टों की मंडली को छुट्टी वाले दिन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की छटपटाहट क्यों होती है? मुंबई हमले में मारे गए हेमंत करकरे की विधवा की संवेदनाओं की अवहेलना करते हुए बार–बार करकरे की शहादत को क्यों अपमानित किया जाता है?■

साभार : हरिभूमि

सूत्रधारों पर मेहरबानी

& âन;ukjk;.k nhf{kr

Hkkरत विश्व का शिखर संसदीय जनतंत्र है लेकिन नोट तंत्र के आरोपों में है। लोकसभा में 'वोट के लिए नोट' मामले में अमर सिंह जेल में हैं। केंद्र निर्देशित पुलिस कथानक में फिलहाल वे ही मुख्य अभियुक्त हैं। नोट कांड की पोल खोलने वाले भाजपा के सांसद भी फिलहाल अभियुक्त हैं। 'कार्य–कारण' का संबंध विज्ञान का सिद्धांत है और अपराधशास्त्र का भी। अपराध अनुसंधान में 'अपराध करने के उद्देश्य' की खोज महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाजपा सांसदों द्वारा धनराशि स्वीकार करने का उद्देश्य साफ है। वे जघन्य अपराध का भंडाफोड़ करना चाहते थे। उन्होंने यही किया भी लेकिन अमर सिंह का लक्ष्य क्या था? वे संप्रग सरकार को बचाने के लिए ऐसी मोटी रकम लेकर क्यों आगे बढ़े? अमर सिंह संप्रग के घटक नहीं थे। आखिरकार अपनी जेब से करोड़ों रुपये खर्च करने की कोई वजह तो होगी ही? वह राजनीतिक क्षेत्र के बड़े डीलर कहे जाते हैं लेकिन डील का असली पक्षकार कहां है? जांचकर्ता पुलिस इस डील के असली लाभार्थी का नाम सामने क्यों नहीं लाती? अपराध असाधारण कोटि का है। संसदीय जनतंत्र की हत्या का है। अमर सिंह सिर्फ भाड़े के शूटर थे। असली अभियुक्तों को कठघरे में खड़ा किया जाना जरूरी है।

'वोट के लिए नोट' कांड का मुख्य विषय था परमाणु करार। वामदलों की समर्थन वापसी से परमाणु करार खटाई में था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका को आश्वस्त कर चुके थे, लेकिन बहुमत की कठिनाई थी। विकिलीक्स के अनुसार कांग्रेस के एक पदधारक ने अमेरिकी राजनयिक को बताया कि विश्वास मत के लिए 50–60 करोड़ रुपये देने की तैयारी है। कांग्रेसी नेता ने अमेरिकी राजनयिक को रुपयों से भरे दो बड़े कोष भी दिखाए और कहा कि एक क्षेत्रीय पार्टी के सदस्यों को 10 करोड़ रुपये प्रति सदस्य भुगतान किया जा चुका है।' ये बातें विकिलीक्स की मनगढ़ंत कथाएं नहीं हैं। यह अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजे गए संदेशों का उद्धरण है। बाद में केंद्र ने इस खुलासे का खंडन किया। प्रधानमंत्री ने इसी बरस स्पष्टीकरण दिया लेकिन पुलिस विवेचना ठप रही। अमर सिंह के सीने में असली राज हैं, कांग्रेस भयभीत है। धन और साधन सत्ता के लिए, सत्तादल द्वारा ही जुटाए गए थे।

संप्रग सरकार सत्ता के लिए सभी अनुचित साधन अपनाने और सब तरह के भ्रष्ट आचरण करने की अभ्यस्त है। न्यायपालिका सक्रिय है, कैग ने धीरज दिया है। आमजनों में जागरण बढ़ा है, लेकिन आश्चर्य है कि मोहरे पिट जाते हैं, असली खिलाड़ी साफ बच जाते हैं। प्रखर जनजागरण और लोकपाल जैसी प्रभावी संस्थाओं के गठन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

संसद बेशक चूक नहीं करती। संसद में ही नोट कांड उछला। संसद ने सरकार को जवाबदेह बनाने का भरपूर प्रयास किया। यह जघन्य अपराध विश्वास मत प्राप्त करने के लिए ही किया गया था। इस अपराध से संसदीय गरिमा का अवमान हुआ। संसद को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए था। अपराध संसदीय कार्यवाही को प्रभावित करने से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अवसरों के लिए सभा के विशेषाधिकार हैं। सभा में विश्वासमत के दिन हुआ मतदान भी प्रश्नों के घेरे में है। सत्तापक्ष ने मतदान को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम अनुचित साधन अपनाए थे, लेकिन इस मामले में गठित संसदीय समिति ने वास्तविक लाभार्थियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार विश्वासमत की चुनौती से कांप रही थी। वह अल्पमत में थी। वह एक–एक वोट के लिए तमाम साधन अपना रही थी। कायदे से संसदीय समिति को इस महत्वपूर्ण तथ्य की जांच करनी चाहिए थी कि संसदीय गरिमा को तहस–नहस करने के मुख्य कारण क्या थे? इस योजना से किसे लाभ मिलने वाला था? वास्तविक योजनाकार क्या चाहते थे? लाभार्थी सत्तापक्ष ही था।

सत्तापक्ष ने अमर सिंह को मोहरा बनाया और उसने इस खेल में उन्हें भरपूर सरकारी संरक्षण का आश्वासन दिया। केंद्र अपने वायदे पर अटल था। उसे उम्मीद थी कि जनता धीरे–धीरे सब कुछ भूल जाएगी। केंद्र के इशारे

पर ही पुलिस ने 2008 की इस महत्वपूर्ण घटना की विवेचना में हाथ भी नहीं लगाया। इस बीच यह मामला कई दफा उछला, विकिलीक्स खुलासे पर भी संसद में गर्मी आई लेकिन पुलिस शांत रही। संसद की गरिमा केंद्रीय षड्यंत्र से ही तार–तार हुई थी। दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर ही मौन थी लेकिन एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कानखिंचाई की। पुलिस विवश होकर सक्रिय हुई। उसने राजनीतिक निर्देशों के अनुसार कथानक बनाया। उसने 'अपराध अनुसंधान' के सामान्य नियमों को भी धता बताया। उसने अपराध और अभियुक्त के उद्देश्यों का पता नहीं लगाया। अपराध की कूट रचना के वास्तविक गुनहगारों को बचाने का काम किया। अमर सिंह एक साधारण सूत्र हैं, वह असाधारण अपराध के मुख्य अभियुक्तों के खास मोहरे हैं। आखिरकार अमर सिंह को इस कांड से क्या लाभ मिलने वाला था? प्रथम द्रष्टया कुछ भी नहीं। असली अभियुक्त कानून की पकड़ से बाहर हैं लेकिन देश के सामने हैं।

लोकसभा में 'नोट के बदले वोट' का सिद्धांत कांग्रेस ने ही ईजाद किया था। अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध वोट पाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव ने 'वोट के लिए नोट' का दांव चलाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। पर संसदीय मतदान का विषय संविधान के अनुसार न्यायिक परीक्षण से बाहर रहने के कारण अपराधी सजा से बच गए। कांग्रेस ने इसी परंपरा को आदर्श माना। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी जुलाई 2008 में फिर से 'वोट के लिए नोट' का पुराना हथियार आजमाया। भाजपा सांसदों को जाल में फंसाने की योजना थी, लेकिन सरकार स्वयं अपने ही बनाए जाल में फंस गई। सदन में नोट लहराए गए। संप्रग की थू–थू हुई। लोकसभा की मर्यादा तार–तार हुई।

लोकतंत्र नोटतंत्र की गिरफ्त में है। पुलिस तंत्र सत्तातंत्र की जेब में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही विवेचना में भी पुलिस ने निराश किया है। 'वोट के लिए नोट' का मसला लोकतंत्र के जीवनमरण का प्रश्न है। मूलभूत प्रश्न यह है कि सत्ताधीशों के अधीन काम करने वाली पुलिस अपने आकाओं के विरुद्ध आरोपपत्र लगाने की हिम्मत कैसे जुटाए? सीबीआइ भी सत्ता के नियंत्रण व निर्देशन में काम करती है। सत्तादल के नियंत्रण में काम करने वाली जांच एजेंसियां सत्ता की इच्छा का अनादर नहीं कर सकतीं। 'वोट के लिए नोट' के इस मामले में इसीलिए कोर्ट से जनहित याचिका में 'विशेष विवेचना टीम' (एसआइटी) गठित करने की मांग की गई थी। संप्रग सरकार सत्ता के लिए सभी अनुचित साधन अपनाने और सब तरह के भ्रष्ट आचरण करने की अभ्यस्त है। न्यायपालिका सक्रिय है, कैग ने धीरज दिया है। आमजनों में जागरण बढ़ा है, लेकिन आश्चर्य है कि मोहरे पिट जाते हैं, असली खिलाड़ी साफ बच जाते हैं। प्रखर जनजागरण और लोकपाल जैसी प्रभावी संस्थाओं के गठन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ■

(लेखक उप्र विधानपरिषद के सदस्य हैं)

साभारः दैनिक जागरण

पृष्ठ 15 का शेष

सच्चाई यह है कि सभी कर्मचारी और सभी सरकारी सेवक उत्तरदायी होने ही चाहिए। अब वह उत्तरदायी तंत्र क्या होगा? विभिन्न विकल्प हैं। हमने कहा है कि उन्हें लोकपाल के भीतर लाइए। जहां तक राज्यों में लोकायुक्त संस्था के विकल्प का प्रश्न है, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि आपको लगता है कि कुछ क्षेत्र केन्द्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं, तो आप समर्थकारी कानून बना सकते हैं और विकल्प राज्यों पर छोड़ दीजिए।

अंतिम प्रश्न यह हैः क्या हमें शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है? हमें निश्चित ही शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एक के बाद एक राज्य इस प्रकार का कानून बना रहे हैं। इसलिए अगर केन्द्र भी इसके बारे में सोचे तो प्रशासन की दृष्टि से यह अच्छा कदम होगा। यह भी अच्छा कदम होगा कि सरकार का हर विभाग एक चार्टर रखे। यह सुशासन की ओर एक कदम है और हमें वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए जो निष्पक्ष और प्रभावी प्रतीत हो।

वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सूचना प्रदाता को लोकायुक्त अथवा लोकपाल के अधीन सुरक्षा दी जाए। मैं समझता हूं कि सिद्धांततः कोई कठिनाई नहीं हो सकती। एक सुझाव है कि प्राधिकारी को यदि कोई शिकायत मिलती है, तो उसे इन लोगों के फोन टेप करने का अधिकार होगा। इस शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि समस्त नौकरशाही को शामिल करना और राज्यों में लोकायुक्त स्थापित करने हेतु आगे बढ़ना ठीक है। जहां तक देश का सवाल है, तो शिकायत चार्टर अथवा कोई तंत्र बनाना भी अत्यंत उपयोगी है। मुझे विश्वास है कि आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब हम लचीलेपन की भावना दर्शाएंगे और जो मुद्दे हमारे सामने हैं उनका समाधान करने में समर्थ होंगे। ■

सामाजिक-आर्थिक विषमता को नष्ट करना हमारा लक्ष्य : नितिन गडकरी

Hkk रतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से संबंधित सांसद, विधायक एवं अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों' का एक दिवसीय 'राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन नई दिल्ली में 27 अगस्त को किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन, श्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसकी अध्यक्षता श्री दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने की। इस मौके पर श्री बंगारू लक्ष्मण, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा, श्री थावर चंद गहलोत, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, श्री अशोक प्रधान, राष्ट्रीय मंत्री, भाजपा, श्री रामनाथ कोविन्द, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा, मौजूद थे।

सम्मेलन की शुरूआत डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, पं. दीनदयाल उपाध्याय और डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुभारम्भ श्री नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्होंने इस मौके पर अपने सम्बोधन में स्पष्ट कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता व पार्टी की विचारधारा हमारी जीवन निष्ठा है, इसके साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते। हम सामाजिक–आर्थिक–शैक्षिक और सांस्कृतिक विषमताओं को दूर कर एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जहां जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो। छुआछूत, जातीय भेदभाव कलंक है, इसे समाप्त करना हमारा मिशन है। इसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं।

1947 के बाद कांग्रेस ने वोट बैंक के चलते यह भ्रम फैलाया कि हम जातिवादी हैं, दलित विरोधी हैं। जबकि ऐसा कतई नहीं है। इस गलत इमेज को बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के जो हमारे कार्यकर्ता, विधायक, सांसद या मंत्री बने हैं, आप सभी बेहतर काम करते हुए तोड़ सकते हैं। वे अपने पद और प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि न केवल उनकी बेहतर छबि सामने आए, बल्कि पार्टी के प्रति लोगों की जो दलित विरोधी छवि है, उसे मिटा सकें।

उन्होंने कहा कि ''हमारा उद्देश्य लोगों को एमपी,एमएलए या मंत्री बनाना नहीं, हम सुशासन के बल पर राज नहीं समाज बदलना चाहते हैं। सामाजिक–आर्थिक विषमता को समूल नष्ट करना चाहते हैं। जो गरीब है, भूखा है उसे अपना भगवान माने, उसकी सेवा करें। हमारा मिशन ऐसे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देने तक जारी रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर पं. दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना की थी। उन्हीं के सिद्धांतों पर भाजपा का गठन किया गया। हमारे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में।

आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चित विषय भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 'जनलोकपाल बिल' को लेकर श्री अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि इस देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए देश में सशक्त लोकपाल का होना आवश्यक है। इसके दायरे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाना आज की आवश्यकता है। इसका संपर्ण देश की जनता ने भी अपना समर्थन दिया है। इसलिए भाजपा जो कि आरम्भ से ही एक प्रभावशाली लोकपाल लाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में

आज आयोजित सम्मेलन में पधारे समस्त सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, एवं अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का दायत्व बनता है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करें।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत कुमार गौतम ने इस मौके पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें भाजपा एक ऐसे लोकतंत्रीय राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने आक्रोशपूर्ण लहजे में कहा कि यूपीए सरकार रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए प्रयासरत है। इसके लागू होने से धर्मांतरित दलित ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज कर उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। यदि ऐसा होता है तो जिन्हें इस श्रेणी के तहत जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वह ईसाई मिशनरियों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे आरक्षण का लाभ उठा लेंगे। हालांकि उन्हें पहले से ही अल्पसंख्यकों के रूप में आरक्षण मिल रहा है।

भाजपा के प्रति अनुसूचित जाति का विश्वास पैदा हो रहा है। बिहार में अनुसूचित जाति के 17 स्थानों पर उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें से 16 स्थानों पर विजय हासिल की। इसी प्रकार गुजरात में हुए निकाय चुनावों में 570 आरक्षित सीटों पर विजय हासिल की। हमें यह संकल्प लेना होगा कि वर्तमान यूपीए सरकार को हटाने तथा पुनः भाजपा की सरकार लाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के दिशा–निर्देश और मार्गदर्शन में काम करना होगा है।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण ने सम्बोधित करते हुए कहा कि '' आजादी के 63 साल होने और भारतीय संविधान को लागू हुए 60 साल हो चुके हैं लेकिन दलितों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। डॉ0 अम्बडेकर द्वारा निर्मित संविधान दुनिया में प्रसिद्ध है, जो सामान्यतः समतामूलक समाज बनाने की बात करता है। संविधान का मूल उद्देश्य संविधान की धाराओं में अनुसूचित जाति के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वर्ष 2005 में कांग्रेस ने दलितों की बजाए मुस्लिम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी के चलते कांग्रेस ने 'जस्टिस राजेन्द्र सच्चर कमेटी' का गठन किया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों के विकास को प्राथमिकता दी गई।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के समक्ष आज जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। कांग्रेस की सरकारों ने जो अन्याय किया है, उन सभी का कार्य योजना के तहत मुकाबला करेंगे। इन चुनौतियों को हमें अवसर के रूप में लेने की आवश्यकता है। कांग्रेस मानती है कि अनुसूचित वर्ग बिखरा हुआ है, इसलिए वे हमारे अधिकारों का हनन करती है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रामनाथ कोविन्द ने कहा इस मौके पर कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद देश में कानून का राज आया। इसी के चलते दलितों को उनके मौलिक अधिकार मिले। संविधान के दायरे में रहकर ही देश की योजनाओं को बनाना होगा और उन्हें ईमानदारी से साथ लागू करना होगा। हिन्दू सम्प्रदाय के लिए गीता, मुसलमान की कुरान, ईसाईयों की बाइबिल है, लेकिन देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान का ही आधार स्वीकार्य किया गया। संविधान की प्रस्तावना में ही इसके लक्ष्यों को संक्षेप में बताया गया है। इसके आधार पर कानून बनते हैं। किसी भी रूप में संविधान की मूलभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती। ■

नए प्रकोष्ठ संयोजकों की घोषणा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 10 सितम्बर 2011 को पार्टी के नए प्रकोष्ठ सह प्रभारी एवं संयोजकों व सह संयोजकों की घोषणा की है, जो निम्नलिखित हैः–

श्रीमती पूर्णिमा आडवाणी (महाराष्ट्र)	: सह प्रभारी, मानवाधिकार प्रकोष्ठ
श्री मानवेन्द्र सिंह, पूर्व सांसद	: सह संयोजक, रक्षा प्रकोष्ठ
श्री मयंकेश्वर सिंह (बिहार)	: सह संयोजक, गोवंश प्रकोष्ठ
श्री आर.पी. गुप्ता (दिल्ली)	: सह संयोजक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रकोष्ठ
श्री अरूण बंसल	: सह संयोजक, वाणिज्य प्रकोष्ठ
श्री अशोक ठाकुर	: सह संयोजक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ
श्री वाई.बी. रामकृष्ण	: सह संयोजक बायो एनर्जी प्रकोष्ठ
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	: संयोजक, प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ

■

गोसेवा आयोग के अध्यक्षों की बैठक सम्पन्न

'गोबर-गोमूत्र के उद्योगीकरण की आवश्यकता'

jkष्ट्रीय गोवंश विकास प्रकोष्ठ के तत्वावधान में गोसेवा आयोग/ बोर्ड के अध्यक्षों एवं संयोजकों की बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2011 को भाजपा केन्द्रीय कार्यालय पर आयोजित की गई जिसका उद्घाटन श्री रामलाल, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) द्वारा किया गया। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महेन्द्र पाण्डेय, राष्ट्रीय समन्वयक मोर्चा/ प्रकोष्ठ, श्री हृदयनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय संगठक एवं श्री ओमप्रकाश जी, अखिल भारतीय गोरक्षा प्रमुख उपस्थित थे।

बैठक का उद्घाटन करते हुये मुख्य अतिथि रामलाल ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि हमें गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होनें कहा कि आज देश में गोहत्या बड़े पैमाने पर हो रही है, उसका निवारण कैसे हो, गोसंरक्षण–संवर्धन की नीति क्या हो, उसके लिये हमारी कार्ययोजना क्या हो, गौशालाओं की स्थिति में सुधार कैसे लाया जाये, गौआधारित उद्योगों को कैसे स्थापित किया जाये, सरकार से हमारी क्या अपेक्षायें है आदि सभी बिन्दुओं पर गहनता से विचार करना है। आज की बैठक का उद्देश्य है। उन्होनें कहा कि क्या किसी गोशाला को मॉडल गोशाला के रूप में हम विकसित कर खड़ा कर सकते है? क्या किसी ग्राम को जैविक या गोग्राम के रूप में हम विकसित कर सकते है?

बैठक की प्रस्तावना रखते हुये राष्ट्रीय संयोजक श्री राधेश्याम गुप्त ने कहा कि आयोग के कार्यों को हम प्रमुख रूप से तीन वर्गो में विभक्त कर सकते है :–

- गोहत्या निवारण कार्यक्रम
- गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था

- गोसंरक्षण–संवर्धन हेतु

उन्होंने बताया कि उद्योगीकरण एवं उदारीकरण की दौड में हम ऊर्जा के अखण्ड स्रोत गाय एवं गोवंश को भूल गये है आज उसको वापस लाना है और गोवंश आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करना है।

श्री महेन्द्र पाण्डेय, राष्ट्रीय समन्वयक मोर्चा/ प्रकोष्ठ ने अपने सम्बोधन में बड़े पैमाने पर हो रही गोहत्या एवं गोमांस के व्यापार पर चिन्ता प्रकट करते हुये कहा कि आज एक बडे Mass Movement चलाये जाने की आवश्यकता है। युवाशक्ति को प्रेरित करने की आवश्यकता है। गोसम्पदा एवं उसके विकास , गोशाला प्रबन्धन, जैविक कृषि आदि विषयों पर बल देते हुये उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। श्री हृदयनाथ सिंह ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। संगठन के विस्तार को जिला एवं मंडल स्तर तक ले जाने की जरूरत पर बल दिया।

श्री ओमप्रकाश ने भी गाय एवं गोवंश को अर्थव्यवस्था से जोडने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज गोबर–गोमूत्र के उद्योगीकरण की आवश्यकता है।

गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड से आये हुये गोसेवा आयोग अध्यक्षों ने भी अपने प्रदेशों में किये जा रहे कार्यों का विवरण एवं कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। बैठक बहुत ही सार्थक रही।■

मध्य प्रदेश

राजनीतिक बदले की भावना त्याग प्रदेश के विकास में सहयोग करें केन्द्र सरकार

मध्यप्रदेश के खराब राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार एवं प्रदेश के साथ हो रहे लगातार भेदभाव को लेकर 26 अगस्त को संसद भवन में गांधी प्रतिमा के समक्ष लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के सभी सांसदों द्वारा सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह के पश्चात् सभी सांसदों ने भूतल परिवहन मंत्री सी.पी. जोशी से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौपा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद प्रभात झा ने बताया कि मध्यप्रदेश की सवा सात करोड़ जनता के साथ केन्द्र सरकार लगातार भेदभाव करती आ रही है। प्रदेश के 5 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अत्यंत खराब है एवं गड्डों में तब्दील हो गये हैं। मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक बिल पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजा है लेकिन केन्द्र द्वारा उसकी मंजूरी नहीं दी जा रही है वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के 999 आबादी तक वाले गांवों में सड़क बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों को पैसा बांटा जाता है लेकिन मध्यप्रदेश को विकास के नाम पर पैसों को आबंटन नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के साथ केन्द्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न समस्याओं को लेकर मध्यप्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2 सितम्बर को प्रदेश की समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भेंट करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन में राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार सिंह, नरेन्द्रसिंह तोमर, अशोक अर्गल, यशोधराराजे सिंधिया, ठा. भूपेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र कुमार, शिवराज लोधी, जितेन्द्र सिंह बुन्देला, माया सिंह,गणेश सिह, गोविन्द मिश्रा, राकेश सिंह, के.डी.देशमुख, कैलाश जोशी, सुमित्रा महाजन, मकनसिंह सोलंकी एवं ज्योति धुर्वे, रधुनन्दन शर्मा, अनुसुइया उईके, नारायण सिंह केसरी, मेधराज जैन आदि उपस्थित थे। ■

➔

जानकारी में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। यह सरकार भ्रष्टाचार से पैदा हुई। वर्ष 2008 में कैश फॉर वोट हुआ था, जिसकी वजह से आप बाद में जीतकर आए। यह पाप से पैदा हुई सरकार है। यह भ्रष्टाचारियों की सरकार है, भ्रष्टाचार के लिए सरकार है, भ्रष्टाचार के वास्ते के लिए सरकार है। आप संभलिए और ईमानदारी से कहिए कि ये गलतियां हुई हैं और इन्हें हम सुधारने के लिए तैयार हैं। करप्शन के जितने सोर्सेज हैं, उन्हें बंद कीजिए। जितने भी विदेशी, स्वदेशी, सोर्सेज हैं उनको बंद कीजिए और हिम्मत के साथ कहिए कि अब हिन्दुस्तान करप्शन फ्री होगा। आइये, एक भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनायें और उससे पहले अपने आपको भ्रष्टाचार से मुक्त करें। इस मानसिकता को, कि अगर कोई भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो आप उसका दमन कर दें, उस पर लाठी चला दें, उसे बंद कर दें। लोगों को अपनी पीड़ा प्रकट करने का अवसर दीजिए और जनतंत्र को सुधारिए।■

महंगाई व भ्रष्टाचार पर काबू न पाया गया तो जनतंत्र के लिए खतरा : डॉ. जोशी

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने चेतावनी दी है कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर काबू न पाया गया तो देश की स्थिरता और जनतंत्र के लिए गंभीर खतरे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी), केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सही मायने में स्वायत्त, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए इन तीनों अहम संस्थाओं से जुड़े कानूनों में जल्द से जल्द सुधारात्मक बदलाव करने की जरूरत बताई है।

साथ ही सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) वाली योजनाओं के तहत विभिन्न कंपनियों को दिए जा रहे हजारों करोड़ रूपए के जन धन को भी इन संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में लाने पर बल दिया है। डॉ. जोशी ने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि जब तक सीबीआई दिल्ली पुलिस कानून के तहत काम करती रहेगी, तब तक वह केन्द्र सरकार के अंकुश में रहेगी। उसे निष्पक्ष बनाने के लिए दिल्ली पुलिस कानून से मुक्त कर अलग कानून से संचालित किया जाना चाहिए। इस नए कानून के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री का पैनल बनाया जाना चाहिए। निदेशक को सीबीआई के क्रियाकलापों का प्रतिवेदन हर छमाही में संसद के सामने रखना चाहिए।

इसी तरह मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति भी ऐसे ही पैनल के जरिए करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पैनल में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष और केन्द्रीय वित्त मंत्री को रखा जाना चाहिए। अभी सीवीसी की नियुक्ति के लिए समुचित पैमाना तय नहीं है। सीवीसी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने और विभिन्न विभागों में सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का स्वतंत्र अधिकार सीवीसी को देने के प्रावधान किए जाने चाहिए। अभी सरकार के कई मंत्रालय और विभाग सीवीसी और सीएजी के काम में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। वे वांछित जानकारी देने और कार्यवाही करने में देरी कर रहे हैं। पीपीपी के तहत विभिन्न कंपनियों को दिए जा रहे हजारों करोड़ रू. का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। यह जन धन है जिसका हिसाब जनता के सामने आना चाहिए।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. जोशी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार व हेराफेरी पर रोक लगाने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के कदम उठाने से यूपीए सरकार कतरा रही है। देशवासियों को हर साल करोड़ों रू. की घूस देनी पड़ रही है। इससे लोग परेशान हैं। उनके आक्रोश की अभिव्यक्ति अण्णा हजारे के आंदोलन के रूप में सामने आ चुकी है। फिर भी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ने की बजाय आंदोलन को दबाने, कुचलने की कोशिशों में लगी है। वह आंदोलन से राजनीतिक तौर पर नहीं निपट पा रही है तो डंडा चलाने के तरीके से निपट रही है जो गलत है। यूपीए सरकार आंदोलन करने के लोगों के लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हुए जन भावनाओं के मुताबिक सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। खाद्यान्न की महंगाई दर लगातार बढ़ने और विकास दर घटने पर गंभीर चिंता जताते डॉ. जोशी ने कहा– महंगाई घटाने और विकास बढ़ाने के यूपीए सरकार के तमाम वायदे और एलान खोखले साबित हुए हैं। अब तो मूल्य नियंत्रण से वास्ता रखने वाले सभी सरकारी पक्षों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। फल व दूध उत्पादन में देश के अग्रणी होने और खाद्यान्न का रेकार्ड उत्पादन होने के बावजूद खाने की चीजें और महंगी होती जा रही हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का दुष्प्रभाव उत्पादन (मेन्यूफेक्चरिंग) क्षेत्र पर पड़ने लगा है। बैंक तरलता की कमी और जमा पूंजी में इजाफा न होने का रोना रोने लगे हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए अब सरकार को रिजर्व बैंक के भरोसे न रहकर मुद्रा प्रबंधन नीति पर नए सिरे से गौर करना चाहिए। ■

बेतहाशा बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर काबू न पाया गया तो देश की स्थिरता और जनतंत्र के लिए गंभीर खतरे खड़े हो जाएंगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी), केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सही मायने में स्वायत्त, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

दिल्ली

केन्द्र सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ सीबीआई जांच कराये

fnल्ली में बिजली के दामों में 22 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि करने के दिल्ली सरकार के निर्णय के खिलाफ दिल्ली भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में 29 अगस्त को दिल्ली विधानसभा पर जोरदार धरना–प्रदर्शन करके जनविरोधी कांग्रेस सरकार से मांग की कि वह कमरतोड़ मंहगाई से जूझ रही दिल्ली की जनता पर बढ़े बिजली के दामों का बोझ तुरंत वापस ले और भारी मुनाफा कमा रही तीनों बिजली कंपनियों के खातों की जांच नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत से कराये। भाजपा ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा के आंदोलन सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जारी रहेंगे, जब तक की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को बर्खास्त करके उनके खिलाफ सीबीआई की जांच प्रारंभ नहीं की जाती है।

धरना–प्रदर्शन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार मलहोत्रा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल प्रदेश के सह–प्रभारी श्री नवजोत सिंह सिद्धू, विधायकगण साहिब सिंह चौहान, प्रो. जगदीश मुखी, डॉ. हर्ष वर्धन, रमेश बिधूड़ी, धर्मदेव सोलंकी, ओ.पी. बब्बर, रवीन्द्र बंसल, मोहन सिंह बिष्ट, डॉ. एस.सी.एल गुप्ता, सतप्रकाश राणा, सुभाष सचदेवा, श्यामलाल गर्ग, मनोज शौकीन, जयभगवान अग्रवाल, नरेश गौड़, श्रीकृष्ण त्यागी, सुनील वैद्य, मोर्चा अध्यक्षों नकुल भारद्वाज, शिखा राय, राजकुमार बल्लन, कृष्णलाल ढ़िलोड़ प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री विजय शर्मा, महामंत्री आशीष सूद, मंत्री सिम्मी जैन, कोषाध्यक्ष अनिल गोयल सहित सभी जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

बिजली के दामों में वृद्धि के खिलाफ दिल्ली भाजपा का विधानसभा पर धरना–प्रदर्शन : मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग

धरना–प्रदर्शन तीन घंटे तक जारी रहा। प्रदर्शनकारी निजी बिजली कंपनियों से आर्थिक सांठ–गांठ रखने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे।

धरने को संबोधित करते हुये प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि पूर्व डीईआरसी चेयरमैन ने निजी बिजली कंपनियों के खातों तथा वार्षिक राजस्व लेखों (ऐआरआर) की जांच के बाद पाया था कि तीनों निजी बिजली कंपनियों ने 6000 करोड़ रूपये का भारी मुनाफा पिछले राजस्व वर्ष में कमाया था। इसी को आधार बनाकर उन्होंने दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिये थे। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों को सरकार की ओर से हर वर्ष करोड़ों रूपये की सब्सिडी अलग से दे रही है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। नये डीईआसी चेयरमैन ने मुख्यमंत्री दिल्ली तथा निजी बिजली कंपनियों के इशारे पर दिल्ली की डेढ़ करोड़ जनता पर 22 प्रतिशत बढ़े बिजली के दामों का जनविरोधी बोझ लाद दिया है। ऐसे में दिल्लीवासियों का

शेष पृष्ठ 30 पर...

छत्तीसगढ़

मिसाल बनी राज्य की पीडीएस : रमन सिंह

Nत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि मैदानी स्तर पर बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, प्रशासनिक कसावट, निरंतर निगरानी और व्यापक जन–भागीदारी के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के सुचारू और सुव्यवस्थित संचालन की वजह से ही आज राज्य की दो करोड़ 55 लाख की जनसंख्या में हर व्यक्ति के लिए कम से कम दो वक्त के भरपेट भोजन का पक्का इंतजाम है।

डॉ. रमन सिंह ने 5 सितम्बर 2011 को रायपुर में कहा कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दस हजार से अधिक उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इन दुकानों के जरिए 52 लाख से यादा राशनकार्ड धारक परिवारों को हर महीने किफायती अनाज, शक्कर और मिट्टी तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति के जरिए इस वर्ष के ग्राम सुराज अभियान में भी इस प्रणाली को लेकर आम जनता से कहीं कोई शिकायत नहीं मिली है। हमारी इस प्रणाली में आम जनता की सर्वाधिक संतुष्टि कहीं भी देखी जा सकती है। इस प्रणाली के जरिए राज्य सरकार तेरह सौ से अधिक सहकारी समितियों में नौ लाख से यादा किसानों से हर साल खरीफ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का विशेष अभियान भी सफलतापूर्वक चला रही है।

राज्य सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य शासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर राशनकार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन कराया गया है, ताकि केवल वास्तविक हितग्राहियों को ही इसका लाभ मिल सके।

डॉ. सिंह ने कहा कि स्वयं भारत सरकार के योजना आयोग ने भी छत्तीसगढ़ की राशन वितरण व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में देश के अन्य रायों में भी अपनाने की अनुशंसा की है। यहां तक कि विश्व बैंक ने भारत के गरीबी उन्मूलन कार्यम पर हाल ही में जारी अपनी लगभग चार सौ पृष्ठों की रिपोर्ट में देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडू की व्यवस्था को बेहतर माना है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वयं भारत सरकार के खाद्य राज्य मंत्री के.व्ही. थॉमस लगभग दो महीने पहले विगत जून में छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने कुछ राशन दुकानों का निरीक्षण करने और वहां राशन कार्ड धारकों से चर्चा करने के बाद रायपुर में पत्रकारों से मुलाकात में छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भरपूर प्रशंसा की थी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी दो महीने पहले जून में छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने रायपुर सहित अभनपुर के नजदीक ग्राम केन्द्री की राशन दुकानों के काम–काज को देखा, राशनकार्डधारकों से बातचीत की और पटना लौटकर वहां पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ की इस वितरण प्रणाली को एक मॉडल के रूप में बिहार में लागू करने की मंशा प्रकट की। भारत सरकार द्वारा गठित सतर्कता समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.पी. बाधवा ने सात सदस्यीय अध्ययन दल के साथ पिछले वर्ष 2010 में छह दिनों तक माह अगस्त में रायपुर, राजनांदगांव और उत्तर बस्तर (कांकेर) जिलों का दौरा किया और जनसुनवाई भी की और इस प्रणाली के बारे में आम जनता के विचारों से अवगत होने के बाद छत्तीसगढ़ की इस प्रणाली के आधार पर राशन वितरण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल तैयार करने का सुझाव दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रणाली के जरिए गरीबी रेखा श्रेणी के 32 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने एक रुपए और दो रुपए किलो में 35 किलो अनाज और निरूशुल्क दो किलो नमक नियमित रूप से दे रही है। इसके अलावा गरीबी रेखा श्रेणी के ऊपर अर्थात ए.पी.एल. श्रेणी के लगभग 20 लाख कार्डधारकों को भी हर महीने निर्धारित किफायती मूल्य पर चावल और गेहूं दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अभी पिछले माह ए.पी.एल. श्रेणी के इन परिवारों के लिए चावल की कीमत प्रति किलो तेरह रुपए से घटाकर साढ़े ग्यारह रुपए और गेहूं की कीमत दस रुपए से घटाकर साढ़े आठ रुपए कर दी है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य में इस प्रणाली के तहत राशन कार्डधारक आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अनेक स्तरों पर निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की गई है। निरूशुल्क कॉल सेंटर 21 जनवरी 2008 से

अर्थात् साढ़े तीन वर्ष से यादा समय से नियमित रूप से काम कर रहा है, जहां प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी गांव या शहर से कोई भी नागरिक इसके टोल–फ्री टेलीफोन नम्बर 1800.233.3663 पर सम्पर्क करके राशन वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत दर्ज करवा सकता है। कॉल सेंटर में दर्ज सूचनाओं के आधार पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर तत्परता से निराकरण की कार्रवाई की जाती है। राशन वितरण अथवा राशन कार्ड को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत कोई भी व्यक्ति इस कॉल सेंटर में मात्र एक टेलीफोन कॉल के जरिए दर्ज करवा सकता है।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राशन दुकानों पर आम जनता की निगरानी के लिए फरवरी 2008 से प्रत्येक दुकान स्तर पर चावल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिन गांवों में राशन दुकानें कार्यरत है और वहां साप्ताहिक हॉट–बाजार भी लगता है तो ऐसे गांवों में प्रत्येक माह की छह तारीख के बाद लगने वाले प्रथम बाजार के दिन और शेष राशन दुकानों में हर महीने की सात तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है, जहां दुकान स्तर की निगरानी समिति और आम नागरिकों के सामने राशन कार्डधारकों को अनाज और अन्य राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। चावल उत्सव के दौरान वहां कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी भी नियुक्त रहते हैं।

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने सभी 105 प्रदाय केन्द्रों के जरिए उचित मूल्य दुकानों के दरवाजों तक हर महीने राशन सामग्री पहुंचायी जा रही है। निगम द्वारा इसके लिए उपयोग में लाए जा रहे अपने वाहनों को पीले रंग से रंगकर एक अलग पहचान दी गई है, ताकि आम जनता की नजर भी उन पर बनी रहे।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जन–भागीदारी वेबसाईट राज्य सरकार का एक नवीन प्रयोग है। इस वेबसाईट पर कोई भी नागरिक अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद वे इस प्रणाली को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या, शिकायत या अपने सुझाव ई–मेल के जरिए खाद्य विभाग को भेज सकते हैं।

इसके अलावा उन्हें विभाग द्वारा ई–मेल से अथवा एसएमएस के जरिए उनके मोबाईल फोन नम्बर पर उनकी वांछित राशन दुकान के लिए नागरिक आपूर्ति निगम से राशन सामग्री लेकर भेजे जाने वाले ट्रकों के नम्बर, प्रदाय तिथि और समय की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे राशन दुकान पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकें। इतना ही नहीं बल्कि इस वेबसाईट में धान खरीदी की भी पूरी जानकारी समिति वार दर्ज रहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य शासन द्वारा विशेष अभियान चलाकर राशनकार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन कराया गया है, ताकि केवल वास्तविक हितग्राहियों को ही इसका लाभ मिल सके। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख 59 हजार त्रुटिपूर्ण बी.पी.एल. राशनकार्ड निरस्त किए गए हैं।

राजस्थान

सरकार जनता की भलाई की सोचे : वसुंधरा राजे

राजस्थान विधानसभा में 23 अगस्त को कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा किए जाने को लेकर विपक्ष की मांग नहीं मानने पर नेता प्रतिपक्ष ने बीएसी की बैठक का बहिष्कार कर दिया। प्रतिपक्ष की नेता वसुंधरा राजे ने कहा है कि एक बात को बार बार दोहराने से कोई बात सधी नहीं हो जाती। सरकार को फिजूल की नाटकबाजी छोडकर जनता की भलाई के काम में लगना चाहिए।

नेताप्रतिपक्ष ने बीएसी की बैठक का बहिष्कार करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब वे सत्ता में थी, तब तो न लोगों ने एक बार भी सदन में आकर कोई मुद्दा उठाया नहीं। बाद में इन लोगों ने आते ही समिति बैठा दी, सारी फाइलें खंगाल ली और पूरी जांच कराने के बाद भी इनको कुछ नहीं मिला। क्योंकि भ्रष्टाचार जैसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कि फाइलों को रोक कर रखने से लोगों के काम और अटक गए। वसुंधरा राजे ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे चर्चा कराने के लिए बीएसी की बैठक में हमने मांग रखी, लेकिन बात सुनी नहीं गई। इसके चलते बैठक का बहिष्कार कर दिया।

उन्होंने कहा कि विधानसभा सदन में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। इस मामले को लेकर परिवारों के साथ सडकों पर उतर आए हैं। यह मुद्दा पहले दिन ही उठाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी, बिजली, सडक जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से आम आदमी जूझ रहा है। इनके समाधान के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। सरकार को विकास की बात करनी चाहिए।(हिस)

हिमाचल प्रदेश

'हर गांव की कहानी' से जुड़ेंगे 102 गांव : प्रो. प्रेम कुमार धूमल

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश के प्रत्येक जिले से चयनित एक–एक गांव की 12 कहानियों के प्रथम संग्रह 'हर गांव की कहानी' का 19 अगस्त को शिमला में शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अगले वर्ष 102 और गांवों के ऐतिहासिक तथ्यों को एकत्रित कर 'हर गांव की कहानी' के अन्तर्गत रोचक कहानियों के दूसरे संग्रह का प्रकाशन किया जाएगा जिसमें ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक गांवों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आवश्यकता के अनुरूप सभी 102 गांवों में गुणात्मक अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधाएं सृजित करने पर 13 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य पर्यटकों को प्रदेश के रीति–रिवाजों, परम्पराओं, जीवन–यापन एवं स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानकारी देकर ग्रामीण लोगों को उनके घरद्वार पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि 'हर गांव की कहानी' राज्य में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी तथा इस प्रकार समूचे प्रदेश को पर्यटन विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए गुणात्मक अधोसरंचना सुविधाएं सृजित कर इसका व्यापक दोहन किया जा रहा है ताकि यहां आने वाले पर्यटक प्र.ति के नजदीक रहकर समय व्यतीत कर सकें और उर्जावान होकर पुनः अपने कार्य पर वापिस लौट सकें।(हिस)

उत्तर प्रदेश

कालाधन और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या : कलराज मिश्र

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने कालाधन और भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लडेघ जाने का आहवा्न किया।

उन्होंने कहा कि कालाधन और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा भाजपा ने उठाया अन्ना जी के आन्दोलन से वह चरम पर पहुंच चुका है। लोग भ्रष्टाचार से निजात चाहते हैं। आज देश के सामने भयंकर चुनौती खड़ी है। केन्द्र सरकार ने अन्ना हजारे को गिरतार कर मौलिक अधिकारों का हनन किया।

श्री मिश्र 22 अगस्त को शाहजहांपुर जिले के तिलहर विधानसभा में आदर्श इण्टर कालेज, निगोहीं में विजय संकल्प सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार बन गई है। अन्ना हजारे एवं बाबा रामदेव जैसे समाज सेवी लोगों को जेल में डाल दिया गया और आम लोगों पर लाठियां बरसाई गयीं। केन्द्र सरकार ने पूरे देश मे आराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं कर सकते। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं जैसे 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, भूमि आधिग्रहण घोटाला। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सत्ता में भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार चरम पर पहुंच चुका है। छोटी–छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे एस0सी0, एस0टी0 ऐक्ट में फंसा दिया जाता है। यह सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के घोटाले में पूरी तरह से लिप्त है। आपदा प्रबन्धन नहीं है बाढ़ से त्राहि–त्राहि हो रही है। सरकारी भ्रष्टाचार के कारण बांध टूट रहे हैं राहत के नाम पर लूट जारी है। बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान हैं। किसान को खाद, नहीं मिल रही है। गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। किसानों का समर्थन मूल्य समय पर नहीं मिल रहा है।

श्री मिश्र ने भाजपा शासन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा शासन में सब कुछ सामान्य था। कार्यकर्ता भाजपा शासन की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जायें। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं की चिन्ता छोड़ दें जो होगा उसे कमल निशान व पार्टी मानकर पूरी ताकत के साथ जुट जाएं तो जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव संतोष गंगवार जी, सुरेश कुमार खन्ना जी पूर्व विधायक, विनोद पाण्डेय एम0एल0सी0, सत्यवान भदौरिया जिलाध्यक्ष, वीरेन्द्र पाल यादव पूर्व जिलाध्यक्ष, राकेश मिश्र, रामगोपाल आादि लोग मौजूद थे।(हिस)

बिहार

प्रदेश के विकास के लिए उद्योगों व व्यापारिक गतिविधियां जरूरी : सुशील मोदी

प्रदेश के विकास के लिए कृषि के साथ–साथ उद्योगों की स्थापना और व्यापारिक गतिविधियों के अनुकूल वातावरण

रहना बेहद जरूरी है। ये बातें बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2 सितम्बर को पटना में कहीं। वे भूतपूर्व सांसद स्व. रामलखन प्रसाद गुप्त की ८६वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई नीतियां का निर्माण किया है और कई नीतियों में संशोधन हुए हैं। इसके फलस्वरूप रा'य में तेजी से नए उद्योग संघों की स्थापना शुरू हो गई है तथा व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ावा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि प्रमुख लोक सेवाओं से जुड़े अधिकांश विभागों कम्प्यूटरीकृत किया गया है और इन्हें राइट टू सर्विस एक्ट के अंतगर्त ला दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब कम्प्यूटर के जरिए निबंधन, रिटर्न जमा करने जैसे कार्य शीघ्र निष्पादित होने से व्यवस्था मे पारदर्शिता आई है तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली है। इससे पूर्व श्री मोदी ने स्व. गुप्त के चित्र पर पुष्प अर्जित कर अपनी प्रणति निवेदित की और उन्हें व्यवसायियों का प्रबल पक्षधर तथा रा'य के विकास का स्वप्नद्रष्टा बताया।(हिस)

झारखंड

भ्रष्ट पदाधिकारियों की संपत्ति होगी जब्त- अर्जुन मुंडा

झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर सरकार सशक्त कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री भी आयेंगे। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले पदाधिकारी बख्से नहीं जायेंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों की संपत्ति जब्त की जायेगी। मुख्यमंत्री सरायकेला में भाजपा जिला समिति द्वारा 6 सितंबर को भ्रष्टाचार के विरोध में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। झाविमो द्वारा रात्रि रेल सेवा परिचालन हेतु प्रारंभ किये जाने वाले आंदोलन के बाबत उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अपने सीमा में रेल सेवा को सुरक्षा देने में सक्षम है। विपक्षी इस मुद्दे को संसद में नहीं ले जाना चाहती है। इस मुद्दे पर सीएम ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू नहीं बहाते, खुद घड़ियाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में कम्प्यूटर केंद्र खोले जायेंगे, जहां पंचायत, प्रखंड और अंचल कार्यालय में प्राप्त सभी सुविधाएं नागरिकों में मुहैया करायी जायेगी।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, विधायक बरकुवंर गगराई, लक्ष्मण गिलुवा, गुरुचरण नायक, अमरप्रीत सिंह, शैलेंद्र सहित अन्य लोग उपस्थित थे।(हिस) ■

पृष्ठ 26 का शेष...

जीना हराम हो गया है। मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती शीला दीक्षित जानती हैं कि जनता उनके भ्रष्टाचारों के कारण उनकी सरकार को आगामी चुनावों में बुरी तरह हरायेगी, इसलिये उन्होंने जनता से बदला लेने के लिये ही बिजली के दामों में बढ़ोतरी करवाई है। बिजली के दाम बढ़ने से मेट्रो रेल के किराये सहित दिल्ली की सभी वस्तुएं और मंहगी हो जायेंगी। ऐसे में गरीब आदमी का दिल्ली में रहना मुश्किल हो जायेगा। दिल्ली से पलायन बढ़ेगा। इसका प्रभाव दिल्ली के उद्योग धंधों, व्यापार तथा जन–जीवन पर पड़ेगा।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने कहा कि 1 जुलाई, 2002 को दिल्ली में बिजली का निजीकरण किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को निजीकरण के अनेक फायदे गिनाये थे। फायदा तो कुछ भी नही मिला, जनता की जेब जरूर बिजली कंपनियों ने काट ली। राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की गुनहगार हैं। जनता उनसे सवाल पूछती है कि निजीकरण के दौरान जो वायदे मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से किये थे वे पूरे क्यों नहीं हुये? क्या सिर्फ जनता को लूटने के लिये कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में बिजली का निजीकरण किया था? प्रदेश के सह–प्रभारी श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट और कैग की रिपोर्ट के बाद यह जग–जाहिर हो गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में करोड़ों रूपये का घपला किया है। इसकी जांच सीबीआई ने प्रारंभ कर दी है। सिर्फ जांच ही काफी नहीं है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जांच से पहले ही गिरफ्तार किया जाना चाहिये ताकि वे सबूतों को नष्ट और गवाहों को प्रभावित न कर सकें। बिजली के दाम बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने अपना जनविरोधी, अलोकतांत्रिक चेहरा दिल्ली की जनता को दिखा दिया है। ■